राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, टोंक के छात्र निधि लेखों के
सम्मिलित अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन।

अवधि 4/97 से 3/2004

भाग-प्रथम

1. गत अंकेक्षण प्रतिवेदन :-

गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों में पाए गए अनेकानेक अनिर्णीत पैरों पर की गई कार्यवाही सत्यापनार्थ प्रस्तुत नहीं की गई। ऐसा प्रतीत होता है कि पूर्व अंकेक्षण आपत्तियों के निपटारे हेतु कोई विशेष रुचि नहीं ली गई जा रही है। परिणामस्वरूप अनेकानेक आपत्तियाँ निपटारे हेतु लम्बे समय से शेष चली आ रही है। पूर्व अंकेक्षण प्रतिवेदनों के अनिर्णीत पैरों को न निपटाए जाने से उचित प्रकरण तथा अधिकारियों के ध्यानार्थ विशेष रूप से लाया जाता है। जिनका विवरण निम्न प्रकार अंकित है :-

(क) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/76 से 3/83 :-

1. पैरा 3(8) अनिर्णीत
2. पैरा 6([illegible]) अनिर्णीत
3. पैरा 6([illegible]) अनिर्णीत
4. पैरा 6([illegible]) अनिर्णीत
5. पैरा 6(1[illegible]) अनिर्णीत
6. पैरा 6(1[illegible]) अनिर्णीत
7. पैरा 6(1[illegible]) अनिर्णीत
8. पैरा 6(1[illegible]) अनिर्णीत
9. पैरा 6(1[illegible]) अनिर्णीत
10. पैरा 6(18) अनिर्णीत
11. पैरा 6(20) अनिर्णीत
12. पैरा 6(21) अनिर्णीत
13. पैरा 6(23) अनिर्णीत
14. पैरा 6(24) अनिर्णीत
15. पैरा 6(25) अनिर्णीत
16. पैरा 6(26) अनिर्णीत
17. पैरा 6(30) अनिर्णीत
18. पैरा 6(32) अनिर्णीत
19. पैरा 6(34) अनिर्णीत
20. पैरा 6(36) अनिर्णीत
21. पैरा 6(38) अनिर्णीत
22. पैरा 6(39) अनिर्णीत
23. पैरा 6([illegible]) अनिर्णीत

..2..

24.	पैरा 7(ए)	अनिर्णीत
25.	पैरा 7(बी)	अनिर्णीत
26.	पैरा 9(ए)	अनिर्णीत
27.	पैरा 9(बी)	अनिर्णीत
28.	पैरा 9(सी)	अनिर्णीत
29.	पैरा 9(डी)	अनिर्णीत
30.	पैरा 9(ई)	अनिर्णीत
31.	पैरा 11(डी)	अनिर्णीत
32.	पैरा 12	अनिर्णीत
33.	पैरा 13	अनिर्णीत
34.	पैरा 14(ए)(सी)	अनिर्णीत
35.	पैरा 16 ए	अनिर्णीत
36.	पैरा 16(बी)	अनिर्णीत
37.	पैरा 16(डी)	अनिर्णीत
38.	पैरा 16(ई)	अनिर्णीत
39.	पैरा 16(एफ)	अनिर्णीत
40.	पैरा 16(के)	अनिर्णीत
41.	पैरा 18	अनिर्णीत
42.	पैरा 20	अनिर्णीत
43.	पैरा 21	अनिर्णीत

(सी) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/83 से 3/85 :-

1.	पैरा 6	अनिर्णीत
2.	पैरा 7	अनिर्णीत
3.	पैरा 8	अनिर्णीत
4.	पैरा 9	अनिर्णीत
5.	पैरा 10	अनिर्णीत
6.	पैरा 11	अनिर्णीत
7.	पैरा 12	अनिर्णीत
8.	पैरा 13.	अनिर्णीत
9.	पैरा 14(बी) से (डी)	अनिर्णीत
10.	पैरा 15(ई) से (एफ)	अनिर्णीत
11.	पैरा 16(ए)	अनिर्णीत
12.	पैरा 16(बी)	अनिर्णीत
13.	पैरा 17	अनिर्णीत
14.	पैरा 18	अनिर्णीत

(ग) ऑडिट प्रतिवेदन अवधि 4/85 से 3/88 :-

1.	पेरा 3	अनिर्णीत
2.	पेरा 4	अनिर्णीत
3.	पेरा 5(ए)(डी)	अनिर्णीत
4.	पेरा 5(एच)	अनिर्णीत
5.	पेरा 5(जे)(1 से 5)	अनिर्णीत
6.	पेरा 5(के)(एल)(एम)	अनिर्णीत
7.	पेरा 5(ओ)(पी)(क्यू)	अनिर्णीत
8.	पेरा 5(आर)(1 से 4)	अनिर्णीत
9.	पेरा 5(एस)(यू)(वी)	अनिर्णीत
10.	पेरा 5([illegible])(डब्ल्यू)(आर)	अनिर्णीत
11.	पेरा 6(बी)(सी)	अनिर्णीत
12.	पेरा 7(ए)(बी)	अनिर्णीत
13.	पेरा 8(ए)(बी)	अनिर्णीत
14.	पेरा 9(ए)(1 से 2)	अनिर्णीत
15.	पेरा 9(बी)(सी)(डी)	अनिर्णीत
16.	पेरा 9 एफ	अनिर्णीत
17.	पेरा 10(ए)(बी)(सी)(डी)	अनिर्णीत
18.	पेरा 10(एफ)	केवल भाग सं. 2 व 3 समाप्त
19.	पेरा 11(ए)	अनिर्णीत
20.	पेरा 11(बी)	अनिर्णीत
21.	पेरा 11(सी)	अनिर्णीत
22.	पेरा 11(डी)	अनिर्णीत
23.	पेरा 11(ई)	अनिर्णीत
24.	पेरा 11(जी)	अनिर्णीत
25.	पेरा 12(2)(2)	अनिर्णीत
26.	पेरा 12(2)(3)	अनिर्णीत
27.	पेरा 12(2)(5)	अनिर्णीत
28.	पेरा 12(2)(7)	अनिर्णीत
29.	पेरा 12(2)(8)	अनिर्णीत
30.	पेरा 12(2)(9)	अनिर्णीत
31.	पेरा 12(10)	अनिर्णीत
32.	पेरा 12(बी)(2)	अनिर्णीत
33	पेरा 12(बी)(3)	अनिर्णीत
34.	पेरा 12(सी)(11 व 12)	अनिर्णीत
35.	पेरा 12(डी)	अनिर्णीत
36.	पेरा 13(ए)	अनिर्णीत
37.	पेरा 13(बी)	अनिर्णीत
38.	पेरा 14(ए से एफ)	अनिर्णीत
39.	पेरा 15(ए)	अनिर्णीत
40.	पेरा 15(बी)	अनिर्णीत

..4..

(घ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/88 से 3/91

1.	पेरा 5(घ)	अनिर्णीत
2.	पेरा 6(क)	अनिर्णीत
3.	पेरा 6(घ)	अनिर्णीत
4.	पेरा 6(ई)	अनिर्णीत
5.	पेरा 6(छ)	अनिर्णीत
6.	पेरा 7(क)(ख)	अनिर्णीत
7.	पेरा 8(क)	अनिर्णीत
8.	पेरा 8(ग) व (घ)	अनिर्णीत
9.	पेरा 8(ङ)(1 से 2)	अनिर्णीत
10.	पेरा 9(घ)	अनिर्णीत
11.	पेरा 9(ट)	अनिर्णीत
12.	पेरा 9(ठ)(2)	अनिर्णीत
13.	पेरा 9(ड)	अनिर्णीत
14.	पेरा 10(क)	अनिर्णीत
15.	पेरा 10(ख)	अनिर्णीत
16.	पेरा 10(छ)	अनिर्णीत
17.	पेरा 10(झ)	अनिर्णीत
18.	पेरा 10(ठ)	अनिर्णीत
19.	पेरा 10(ट)	अनिर्णीत
20.	पेरा ~~(अ)~~ 10(त)	अनिर्णीत
21.	पेरा ~~(अ)~~ 10(थ)	अनिर्णीत
22.	पेरा ~~(अ)~~ 10(द).	अनिर्णीत
23.	पेरा 11(क).	अनिर्णीत
24.	पेरा 11(ग)	अनिर्णीत
25.	पेरा 11(ङ.).	अनिर्णीत
26.	पेरा 12(क).	अनिर्णीत
27.	पेरा 12(ख)(ग)(घ)(ङ.)	अनिर्णीत
28.	पेरा 12(च)(छ)(ज)(झ)	अनिर्णीत
29.	पेरा 12(ट)(ठ)	अनिर्णीत
30.	पेरा 12(ड) के मद 3 समाप्त ।	
31.	पेरा 13(क) व 13(ख)	अनिर्णीत
32.	पेरा 14(क)	अनिर्णीत
33.	पेरा 15(ख, ग, घ)	अनिर्णीत
34.	पेरा 16(क)	अनिर्णीत
35.	पेरा 16(ख)	अनिर्णीत
36.	पेरा 16(ग)	अनिर्णीत
37.	पेरा 16(ग.)	अनिर्णीत
38.	पेरा 16(घ)	अनिर्णीत
39.	पेरा 16(छ).	अनिर्णीत
40.	पेरा 16(ज) 1 से 3	अनिर्णीत

 260

(ङ.) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/91 से 3/94 :-

1.	पैरा 3	अनिर्णीत
2.	पैरा 5	अनिर्णीत
3.	पैरा 6	अनिर्णीत
4.	पैरा 7	अनिर्णीत
5.	पैरा 8	अनिर्णीत
6.	पैरा 9	अनिर्णीत
7.	पैरा 10	अनिर्णीत
8.	पैरा 11	अनिर्णीत
9.	पैरा 12	अनिर्णीत
10.	पैरा 14	अनिर्णीत
11.	पैरा 16	अनिर्णीत
12.	पैरा 17	अनिर्णीत
13.	पैरा 19	अनिर्णीत
14.	पैरा 20	अनिर्णीत
15.	पैरा 22	अनिर्णीत

(च) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/94 से 3/97 :-

1.	पैरा 3	समाप्त
2.	पैरा 4	अनिर्णीत
3.	पैरा 5(क)	अनिर्णीत
4.	पैरा 5(ख)	अनिर्णीत
5.	पैरा 6(1)	अनिर्णीत
6.	पैरा 6(2)	अनिर्णीत
7.	पैरा 7	अनिर्णीत
8.	पैरा 8(1)	अनिर्णीत
9.	पैरा 8(2)	अनिर्णीत
10.	पैरा 8(3)	अनिर्णीत
11.	पैरा 9	अनिर्णीत
12.	पैरा 10	अनिर्णीत
13.	पैरा 11	अनिर्णीत
14.	पैरा 12	अनिर्णीत
15.	पैरा 13	अनिर्णीत
16.	पैरा 14(क)	अनिर्णीत
17.	पैरा 14(ख)	अनिर्णीत
18.	पैरा 14(ग)	अनिर्णीत
19.	पैरा 14(घ)	अनिर्णीत
20.	पैरा 14(ङ)	अनिर्णीत
21.	पैरा 15(क)	अनिर्णीत
22.	पैरा 15(ख)	अनिर्णीत

23.	पेरा 15(ग)	अनिर्णीत
24.	पेरा 15(घ)	अनिर्णीत
25.	पेरा 16(क)	अनिर्णीत
26.	पेरा 16(ख)	अनिर्णीत
27.	पेरा 17(क)	अनिर्णीत
28.	पेरा 17(ख)	अनिर्णीत
29.	पेरा 18	अनिर्णीत
30.	पेरा 19	अनिर्णीत
31.	पेरा 20	अनिर्णीत
32.	पेरा 21	अनिर्णीत
33.	पेरा 22(क)	अनिर्णीत
34.	पेरा 22(ख)	अनिर्णीत
35.	पेरा 22(ग)	अनिर्णीत
36.	पेरा 22(घ)	अनिर्णीत
37.	पेरा 23(क)	अनिर्णीत
38.	पेरा 23(ख)	अनिर्णीत
39.	पेरा 23(ग)	अनिर्णीत
40.	पेरा 23(घ)	अनिर्णीत
41.	पेरा 23(ङ)	अनिर्णीत
42.	पेरा 23(च)	अनिर्णीत

=========

==========भाग-दो ===========

==============

2. **वर्तमान अंकेक्षण :-**

राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय के छात्र निधि लेखों का अंकेक्षण श्री सुरेश गुप्ता, अनुभाग अधिकारी, श्री [illegible] सिंह परमार, अनुभाग अधिकारी व श्री अनिल कुमार शर्मा, कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 12.4.04 से 26.6.04 तक किया गया। मास 8/97, 3/98, 7/98, 12/98, 7/99, 12/99, 7/2000, 12/2000, 7/2001, 10/01, 7/02, 9/02, 7/03 व 12/03 के लेखाओं की विस्तृत जाँच हेतु चयन किया गया।

3. **अंकेक्षण शुल्क :-**

छात्र निधि लेखों की लेखा परीक्षा हेतु अंकेक्षण शुल्क 49000.00 रु. बनता है। अनुभाग अधिकारी के पत्र संख्या 369 दिनांक 25.6.04 द्वारा प्राचार्य महाविद्यालय से अनुरोध किया गया कि उक्त राशि को रेखांकित ड्राफ्ट परीक्षक, स्थानीय लेखा परीक्षा

विभाग, हि0प्र0 के नाम करवाकर उन्हे शीघ्र प्रेषित करें ।

प्राचार्य महाविद्यालय द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना के आधार पर वर्षवार आय का विवरण निम्न प्रकार से है :-

वर्ष	आय
1997-98	1068059.10
1998-99	1304357.50
1999-2000	2153200.75
2000-01	1873128.50
2001-02	2261161.00
2002-03	2908065.40
2003-04	2244334.00

4. सावधि जमा :-

(क) प्राचार्य, महाविद्यालय सोलन द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना व सावधि रजिस्टर की जाँच करने पर दिनांक 31.3.04 विभिन्न निधियों से मु0 7553589.00 रु. की राशि निवेशित थी जिसका विवरण परिशिष्ट "क" पर दिया गया है।

(ख) सावधि लेखा में समय समय पर किए गए निवेश पर अर्जित ब्याज को रोकड़ बही में आय दर्शाकर अंकित नहीं किया जा रहा था। परिणामस्वरूप निधि लेखा की बकाया राशि सही स्थिति नहीं दर्शाती। अर्जित/प्राप्त ब्याज को रोकड़ बही में लेखाबद्ध न किए जाने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए व पूर्व में समस्त अर्जित ब्याज को रोकड़ बही में अंकित करके अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए व भविष्य में यथा समय इसे रोकड़ बही में अर्जित की जानी सुनिश्चित की जाए।

(ग) सावधि रजिस्टर की जाँच करने पर पाया गया कि निवेशित राशि पर क्या ब्याज दर लागू थी, की सूचना अंकित नहीं थी तथा न ही एफ.डी.आर. की छायाप्रति ही अभिलेख में पाई गई जिस कारण प्राप्त ब्याज की गणना की जाँच नहीं की जा सकी। रजिस्टर में ब्याज दर का उल्लेख न किए जाने व एफ.डी.आर. की छाया प्रति न रखे जाने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए व भविष्य में इस त्रुटि से परिहार किया जाए।

(घ) छात्र निधि से समय समय पर सावधि खाता में किए गए निवेश की जांच करने पर पाया गया कि सावधि खाता में निवेशित की गई राशि को सम्बन्धित छात्र निधि की रोकड़ बही के बकाया राशि में नही दर्शाया गया है व निवेश करते समय इस राशि को व्यय के रूप में दर्शाकर बकाया राशि को कम करके दर्शाया गया बकाया राशि से ~~व्यय किए जाने बारे तथा निवे~~ सावधि खाता में निवेशित राशियों को ~~निवेशित राशियों को~~ घटा दिए जाने बारे तथा निवेशित राशि बारे कोई

भी उल्लेख मासान्त/वर्षान्त में नहीं करने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए व समस्त निवेशित राशि को खाता में जोड़ कर अनुपालना से अवगत करवाया जाए। भविष्य में इस प्रकार की त्रुटि को न दोहराया जाए।

5. अग्रिम :-

(क) दिनांक 31.3.04 को विभिन्न स्रोत निधियों से समय समय पर दिए गए अग्रिमों की मु0 116050.00 रु. की राशि समायोजन हेतु शेष थी। इनमें कुछ राशियां कई वर्षों से निपटारे हेतु शेष है। अग्रिम राशियों का समायोजन प्रयोजन पूर्ण हो जाने के तुरन्त पश्चात किया जाना वांछित था। समायोजन इतनी लम्बी अवधि न किए जाने के परिणामस्वरूप इन राशियों का सम्बन्धित कर्मचारियों/अधिकारियों का अस्थाई दुर्विनियोजन/दुरुपयोग किया गया है जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए व सम्बन्धित कर्मचारियों/अधिकारियों से आवश्यक वसूली/समायोजन अविलम्ब करके इस विभाग को सूचित किया जाए।

(ख) अग्रिम रजिस्टर की जांच करने पर पाया गया कि श्री एच.एस. नेगी, प्रवक्ता को दिनांक 27.8.03 वाउचर नं. 119/03 द्वारा मु0 20000.00 रु. की राशि अग्रिम के रूप में एस.सी.ए. का चुनाव करवाने से सम्बन्धित व्यय को किए जाने हेतु प्रदान की गई। अग्रिम रजिस्टर में दिए गए अग्रिम की प्रविष्टि के विरुद्ध यह वर्णित किया गया कि उक्त चुनाव पर 4440.00 रु. का व्यय किया गया तथा शेष 15560.00 रु. की रसीद नं. 979190 दिनांक 9.9.03 द्वारा जमा करवा दी गई परन्तु यह व्यय की राशि किस वाउचर के अन्तर्गत व समायोजन हेतु पास करवाई गई, का कोई उल्लेख नहीं था तथा न ही सक्षम प्राधिकारी द्वारा इसे सत्यापित ही किया गया था। इसके अतिरिक्त उक्त अग्रिम [redacted] की प्रविष्टि को तत्कालीन प्राचार्य द्वारा आगामी पृष्ठ पर पुनः शेष दर्शाया गया। बिना समायोजन लेखा पारित किए ही अग्रिम का समायोजन बिना किसी आधार पर किए जाने बारे स्थिती स्पष्ट की जाए। ऐसा भी प्रतीत होता है कि सम्बन्धित प्रवक्ता द्वारा उपरोक्त अग्रिम के समायोजन वाउचर कार्यालय में प्रस्तुत कर दिए गए थे जिनके आधार पर अग्रिम रजिस्टर में प्रविष्टि की गई थी परन्तु इस प्रकार का कोई भी वाउचर अभिलेख में नहीं था

तथा न ही अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया। पाई गई त्रुटि बारे स्थिति तथ्यों सहित इस विभाग को सूचित किया जाए।

(ग) अग्रिम रजिस्टर की जांच करने पर पाया गया कि अग्रिमों का समायोजन केवल "लेखा" शब्द लिखकर कर दिया गया जोकि अनियमित ही नहीं अत्यन्त आपत्तिजनक भी था। अग्रिम रजिस्टर में अग्रिमों को पारित अभिलेख/वाउचर का सन्दर्भ देकर समाप्त किया जाना अपेक्षित था। अग्रिम रजिस्टर में इस प्रकार के अनेक उदाहरण विद्यमान हैं। पाई गई त्रुटि बारे स्थिति स्पष्ट की जाए व आवश्यक अभिलेख/वाउचरों को अग्रिम रजिस्टर देकर पूर्ण किया जाना सुनिश्चित किया जाए तथा यह भी सुनिश्चित किया जाए कि कोई भी अग्रिम की राशि इन प्रकरणों में शेष नहीं है। अन्यथा बिना ~~सम्बन्धित अग्रिम की वसूली~~ वाउचरों के किए गए समायोजन से सम्बन्धित अग्रिम की वसूली सम्बन्धित कर्मचारी/अधिकारी से करके राशि जमा करवाई जाए।

(घ) अग्रिमों का समायोजन लेखा पारित करने के पश्चात इसे रोकड़ वही में नहीं दर्शाया जा रहा था तथा न ही पारित लेखा का कोई विवरण रोकड़ वही में दिया जा रहा था। पाई गई त्रुटि बारे स्थिति स्पष्ट की जाए व भविष्य में अग्रिम लेखा का समायोजन रोकड़ वही में पूर्ण रूप से नियमानुसार दर्शाया जाए व इसी आधार पर ही अग्रिम रजिस्टर में प्रविष्टि की जाए।

(ङ) अग्रिमों का भुगतान करते समय सम्बन्धित वाउचर को भुगतान हेतु पास नहीं किया जा रहा था केवल कर्मचारी के आवेदन पर स्वीकृत लिखकर ही इसे रोकड़ वही में दर्ज किया जा रहा था। इसके अतिरिक्त सम्बन्धित कर्मचारी से कोई भी रसीद राशि की प्राप्ति करने पर नहीं ली जा रही थी जोकि अत्यन्त आपत्तिजनक है। पाई गई त्रुटि बारे स्थिति स्पष्ट करते हुए इस प्रकार की त्रुटि को पुनः न दोहराया जाए।

26

6. मु0 314247.00 रु. का प्रिंटिंग कार्य हि0प्र0 प्रिंटिंग प्रेस से बिना अनापत्ति प्रमाण पत्र लिए सीधे खुले बाजार से करवाना :-

महाविद्यालय द्वारा समय समय पर मुद्रण से सम्बन्धित कार्य व स्टेशनरी का सामान खुले बाजार से क्रय किया गया। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा समय समय पर जारी निर्देशों के अनुसार इस प्रकार के समस्त कार्यों/खरीद को हि0प्र0 सरकार के लेखन एवं सामग्री विभाग से करवाया जाना वांछित था। परन्तु महाविद्यालय द्वारा इन आदेशों की अनदेखी करके व अनापत्ति प्रमाण पत्र को प्राप्त किए ही सीधे खुले बाजार से मुद्रित करवाया गया। उपरोक्त वर्णित त्रुटि को ध्यान में रखते हुए निम्न विवरणानुसार खुले बाजार से मु0 314247/-रु. के करवाए गए कार्य /खरीद हेतु स्थिति स्पष्ट की जाए व भविष्य में इस प्रकार का कार्य वर्ष की मांग को ध्यान में रखते हुए मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग से करवाया जाए। उपरोक्त वर्णित त्रुटि उच्चाधिकारियों के ध्यानार्थ भी आवश्यक उचित कार्यवाही हेतु लाई जाती है।

क्रम सं.	वाउचर सं. व दिनांक.	भुगतान विवरण	क्रय सामग्रीविवरण	भुगतान रु.
1.	63/97 14.8.97	मै0 हिल स्टार प्रिंटिंग प्रेस सोलन, बिल नं. 10237, दिनांक 10.8.97	100 नं. हाजरी रजिस्टर	4882.00
2.	35/98/ 10.7.98	मै0 शिव प्रिंटर एण्ड पोली वर्क्स सोलन बिल नं. 3588 दिनांक 19.6.98	3200 नं. प्रोसपैक्टस	10962.00
3.	39/98 25.7.98	मै0शिव प्रिंटर एण्ड पोली वर्क्स,सोलन बिल 3609 दिनांक 19.7.98.	200नं. होस्टल प्रोसपैक्टस	1040.00
4.	21/99 1.7.99	मै0 हिल स्टार प्रिंटिंग प्रेस सोलन, बिल नं. 10999 दिनांक 24.6.99.	250 नं. हाजरी रजिस्टर	16772.00
5.	142/99 3.12.99	मै0 नेशनल प्रिंटिंग प्रेस, बिल नं. 3495 दिनांक 20.11.99	15000 नं. उत्तर पुस्तिकाएं।	18718.00
6.	30/2000 14.7.2000	मै0 सहगल प्रिंटिंग एण्ड पेकरज बिल नं. 744 दिनांक 7.7.2000	2443 नं. कालेज पत्रिका.	70725.00

266

7.	39/2000	मै0 महावीर पेपर प्रोडक्ट्स बिल नं. 1026 दिनांक 22.7.2000.	2950 नं. पहचान पत्र	29500.00
8.	27/2001 6.7.2001	मै0 सहगल प्रिंटर सोलन	प्रोस्पैक्टस	25500.00
9.	28/01 11.7.01	मै0 महावीर पेपर प्रोडक्ट्स सोलन.	पहचान पत्र	35400.00
10.	34/01 24.7.01	मै0 सहगल प्रिंटिंग सोलन	कालेज पत्रिका	72563.00
11.	79/01 4.10.01	मै0 कौशल प्रीटिंग प्रैस सोलन	परिणाम रजिस्टर	2195.00
12.	96/03, 11.7.03	मै0 सहगल प्रिंटिंग सोलन	3400 प्रोस्पैक्टस	23990.00
			योग:=	314247.00

7. **मु0 341140.50 रु. का मिश्रित निधि से अनियमित व्यय :-**

मिश्रित निधि से किए गए व्यय की जांच करने पर पाया गया कि अनेक व्यय जो कि छात्र निधि से वैध प्रभार ही नहीं थे, पर अनियमित व्यय किया गया। छात्र निधि से छात्रों से सम्बन्धित गतिविधियों पर ही व्यय किए जाने का प्रावधान है। चयनित मासों में पाए गए इस प्रकार के उदाहरण निम्न वर्णित है। अनियमित रूप से किए गए व्यय बारे स्थिति स्पष्ट की जाए व वसूली उचित स्त्रोत से जमा करवाई जाए अन्यथा इसे सक्षम प्राधिकारी की कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त करके नियमित करवाया जाए। भविष्य में छात्र निधि से इस प्रकार के व्यय से परिहार किया जाए।

क्रम सं.	भुगतान विवरण	वाउचर सं. व दिनांक.	क्रय सामान का संक्षिप्त विवरण।	भुगतानराशि	टिप्पणी
1.	मै0 गोयल ब्रदर्ज सोलन बिल नं. 5587 दिनांक 27.5.97, 5588 दि. 27.5.97, बिल नं. 5589, दि. 27.5.97 मै0 हरीश ब्रदर्ज सोलन बिल नं. 718 दि, 27.5.97 श्री कृष्ण चन्द पलम्बर, बिल नं. शून्य दि. 28.5.97.	55/97 2.8.97	कालेज भवन में पानी की फिटिंग के लिए पाईप, एलबो सोकेट इत्यादि.	7754.00	--

(67)

2. मै0 हिल स्टार प्रिंटिंग प्रैस सोलन बिल सं. 10237 दि. 10.8.97.	63/97 14.8.97.	100 नं. हाजरी रजिस्टर.	4882.00	स्टाक रजिस्टर में 96 नं. रजिस्टर एक मुश्त जारी कर दिए गए परन्तु प्रवक्ताओं के प्राप्ति लेखा का कोई विवरण नहीं तथा 4 नं. बकाया रहे रजिस्टरों को न तो आगामी पृ./ रजिस्टर में ले जाया गया।.
3. श्री एच.के. ठाकुर के माध्यम से जलपान पर व्यय.	202/97 6.3.98	जलपान पर व्यय	367.00	जलपान किस आयोजन में किया गया व छात्रनिधि पर यह कैसे वैध प्रभार था, का कोई उल्लेख नहीं। केवल जलपान के [illegible] बिलों को ही भुगतान हेतु पारित किया गया।
4. मै0 विशाल फैब्रीकेटर सोलन, बिल सं. शून्य दिनांक 28.11.98	125/98	6 नं. ग्रिल व 2 नं. फोल्डिंग ग्रिल गेट कालेज के कमरों के लिए।	9930.00	--
5. मै0 जौहरी लाल वैश्नीशप सोलन, बिल सं. 17927 दि. 16.12.98	140/98	1000 लीटर का पानी का टैंक व इसकी फिटिंग तथा 4 ली. पेंट	5126/=	यह सामान कहाँ प्रयोग हेतु खरीदा गया, कोई उल्लेख नहीं इसके अति-रिक्त स्टाक रजिस्टर में प्रविष्टियाँ नहीं।
6. मै0 राज टैन्ट हाउस बिल सं. 1449 दि. 15.12.98.	141/98	शामियाना के सामान हेतु किराया	11400.00	अभिलेख में यह वर्णित नहीं था कि शामियाना कहाँ व किस उत्सव के लिए/ आयोजन हेतु किया गया तथा छात्र निधि पर यह किस प्रकार से उचित प्रभार था।
	142/98		2250/-	

..13..

284

7. मै0 नरेन्द्र आर्ट एण्ड एडवरटाईजिंग बिल सं. 26 व 31 दिनांक 13.7.99 व 21.7.99	24/99	कमरों व ब्लेक बाक्स पर लिखावट पर व्यय.	660.00	--
8. श्री. द्वारिका थरेला द्वारा दिनांक 9.11.99से 12.11.99 तक बास्केटबाल चैम्पीयनशीप के आयोजन से सम्बन्धित व्यय.	132/99	बास्केट बाल चैम्पीयनशिप के आयोजन से संबंधित व्यय.	2738/=	चैम्पीयनशीप के आयोजन से संबंधित विविध व्यय मिश्रित निधि से वैधप्रभार नहीं.
9. मै0 ज्योति इलेक्ट्रीकल एण्ड साउंड सर्विस सोलन.	133/99	सोलन में आयोजित यूथ फैस्टीवल दिनांक 15.11.99 से 17.11.99 तक के लाईट एण्ड साउंड हेतु व्यय.	11500/=	-यथोपरि-
10. मै0 नेशनल प्रिंटिंग प्रेस बिल नं.3495 दिनांक 20.11.99.	142/99	15000नं. पृ0 की उत्तर पुस्तिकाऐं.	18718/=	उक्त व्यय गृह परीक्षा निधि से किया जाना अपेक्षित था।
11. मै0 महाजन ट्रेडर्ज बिल नं.6017 दि. 4.10.99	146/99	100 नं. चाक बाक्स	325.00	--
बिल नं.6264, 8.12.99	152/99.	100नं.चाकबाक्स	325.00	--
12. मै. महावीर पेपर प्रोडक्ट बिल नं.3200 दिनांक 2.11.99	148/99	1 रिम फोटो स्टेट पेपर. 1 रिम कंप्यूटर पेपर.	485/=	--
13. मै.राकेश कैटर सोलन	153/99	मिठाई व चाय का बिल(एच.पी विश्वविद्यालय की बास्केटबाल चैम्पीयनशिप (9.11.99से 12.11.99)तक से सम्बन्धित व्यय.	13100/=	हि0प्र0विश्व विद्यालय के समारोह के व्यय को [illegible] निधि में से किया जाना उचित नहीं था

269

14. मै0 एम.एस. स्टील वर्क्स बि.सं. 561, दिनांक 4.12.99.	159/99 15.12.99	म्यूजिक के कमरे में ग्रिल हेतु व्यय.	525.00	स्टाक रजिस्टर में भी प्रविष्टि नहीं.
15. मै. नवयुगान्तर प्रेस मेरठ बिल सं. 482, दिनांक 15.12.99	164/99	प्रश्नपत्र	4900.00	--
16. 6 नं. मजदूरों को 20 दिन साईंस व प्रशासनिक ब्लाक में सफेदी करने हेतु मजदूरी का भुगतान.	166/99	कालेज भवन में सफेदी.	7010.00	--
17. श्री डी.एन.शर्मा के माध्यम से न्यायालय में फिटनैस हेतु जमा करवाई गई साईटमनी व अन्य व्यय.	29/2000	कोर्ट में जमा साईट मनी	258.50	न्यायालय द्वारा जारी की गई रसीद भी अभिलेख में नहीं.
18. मै0 भगत प्रींटर व पेपर्स बिल नं. 744 दि.7.7.2000	30/2000	2443 नं. कालेजपत्रिका	70725.00	कालेज पत्रिका निधि पृथक होने के कारण यह मिश्रित निधि से किया जाना उचित नहीं.
19. मै. महावीर पेपर प्रोडक्ट सोलन बिल सं. 1026 दिनांक 22.7.2000	39/2000	2950 नं. पहचान पत्र विद डायरी.	29500.00	अलग निधि होने के कारण मिश्रित निधि से व्यय करना अनुचित था.
20. मै. महावीर पेपर प्रोडक्ट सोलन, बिल नं. 902, दि. 10.7.01	28/2001	3000 नं. पहचान पत्र एवं लाईब्रेरीकार्ड.	35400.00	यथोपरि
21. मै0 राज टैण्ट हाउस सोलन बिल सं. 1726 दिनांक 7.7.01	32/01	ट्राईबल होस्टल के उद्घाटन के लिए टैंट का किराया.	9700.00	--
22. मै0 ठाकुर ट्रेडर्ज सोलन बिल सं. 5790 दिनांक 26.12.2000	168/2000	बिजली की रिपेयर व अन्य शिकायतें	2325/=	माह 7/2000 से 12/2000 तक बिजली की शिकायतें अटैण्ड करने हेतु भुगतान किया गया।
23. मै. ठाकुर ट्रेडर बिल नं. 5172 दि. 12.10.2000	136/2000	30 नं. बल्ब	360.00	--

210

24. मै0 एन.एम.एस. ट्रेडिंग कं.	91/01	प्लाई बोर्ड, बोर्ड पेंट, ब्रुश एवं अन्य विविध सामग्री क्रय की गई.	4435.00	विस्तृत विवरण नहीं था कि किस उद्देश्य हेतु सामग्री क्रय की गई।
25. श्री धनी राम	108/02	श्री धनीराम को माह जून 2002 की चौकीदारी करने के लिए भुगतान किया गया था।	1650/=	कार्यालय की चौकी दारी करने का व्यय निधि से नहीं किया जा सकता था।
26. श्री नरेन्द्र कुमार चौकीदार.	109/02	छात्र होस्टल की चौकीदारी करने के लिए भुगतान माह 6/2002	1650.00	होस्टल की चौकी दारी का भुगतान होस्टल निधि से किया जाना था.
27. श्री नरेन्द्र कुमार	127/02	-यथोपरि- माह 8/2002.	1705/-	-"-
28. श्री धनीराम चौकीदार.	128/02	छात्रा होस्टल की माह 8/02 की चौकीदारी करने के लिए भुगतान।	1705/=	-"-
29. श्री रामानन्द चौहान के माध्यम से बिजली की रिपेयर.	188/2000	ज्योग्राफीविभाग में बिजली की रिपेयर.	500/=	--
30. श्री दीपक ठाकुर के माध्यम से रेपरेशमेंट बिल का भुगतान.	99/03	जनजातीय गर्ल्स होस्टल के नींव पत्थर रखने के समारोह में जलपान पर व्यय.	2300/=	--
31. श्री धनीराम चौकीदार गर्ल्स होस्टल.	94/03	गर्ल्स होस्टल में किए गए कार्य हेतु भुगतान. माह 6/03	1740.00	--
	224/03	माह 11/03	1885.00	
32. श्री नरेन्द्र कुमार, रवीपर, छात्र होस्टल	95/03	छात्र होस्टल में माह 6/03 को किए गए कार्य हेतु।	1740.00	

33. श्री रामानन्द प्रवक्ता के माध्यम से दो टायलेट की फर्निशिंग से संबंधित लेबर व्यय का भुगतान।	147/02	दो टायलेट की रेनोवेशन एवं फर्निशिंग से सम्बन्धित व्यय का भुगतान।	11112/=	यह व्यय अमलगामेटिड निधि पर उचित प्रभार नहीं है।
34. श्री रामानन्द प्रवक्ता के माध्यम से दो टायलेट की फर्निशिंग से सम्बन्धित क्रय की गई सामग्री का भुगतान।	152/02	-यथोपरि-	27985.00	-"-
35. श्री नरेन्द्र कुमार	223/03	छात्रावास (छात्र) की चौकीदारी माह 11/03.	1950.00	-"-
36. मै. आर.सी. वैल्डिंग वर्क्स सोलन.	242/03	240 फुट जाली	4320.00	
37. मै. चड्ढा इलैक्ट्रिकल वर्क्स सोलन.	158/02	टायलेट की फर्निशिंग से सम्बन्धित व्यय.	26200.00	
		योग=	3,41,140.50	

पहचान पत्र निधि, भवन निधि, पत्रिका निधि, से सम्बन्धित पृथक निधि एवं कन्टीजैन्सी हेतु अलग बजट होने के बावजूद इन निधियों एवं कन्टीजैन्सी से सम्बन्धित व्यय अमलगामेटिड निधि से किया गया था। पृथक निधि होने के बावजूद अमलगामेटिड निधि से व्यय [redacted] किया जाना एक अनियमितता है। अतः अन्य निधियों से सम्बन्धित व्यय जिसे अमलगामेटिड निधि से किया गया है की प्रतिपूर्ति सम्बन्धित निधियों से करके राशि अमलगामेटिड निधि में जमा की जानी सुनिश्चित की जाए।

272

8. कुल 105380.00 रु. का व्यय हि0प्र0 विश्वविद्यालय के यूथ फेस्टिवल पर अनुचित रूप से करना :-

वाउचर सं.	दिनांक	राशि रु. में
154/99	15.12.99	10380.00
160/99	15.12.99	95000.00

उपरोक्त वर्णित वाउचरों द्वारा डा. बी.के.कपूर, प्रवक्ता केमिस्ट्री व मै. राज टेन्ट हाउस सोलन को क्रमशः 16380.00 रु. व 95000.00 रु. का भुगतान किया गया। यह भुगतान किस उद्देश्य हेतु किया गया रोकड़ बही में कोई उल्लेख नहीं था। किए गए भुगतान पर निम्न वर्णित टिप्पणियाँ अपेक्षित है :-

(1) कुल 16380.00 रु. जलपान पर अनुचित/अनियमित व्यय :-

वाउचर सं. 154/99 द्वारा डा. बी.के.कपूर प्रवक्ता द्वारा वाउचर सं. 124/99 द्वारा लिए गए 6000.00 रु. के अग्रिम का लेखा 16380.00 रु. का समायोजन लेखा पारित करके उन्हें 10380.00 रु. का भुगतान किया गया। इस भुगतान की जांच करने पर पाया गया कि व्यय हि0प्र0 विश्वविद्यालय यूथ फेस्टीवल दिनांक 15.11.99 से 17.11.99 तक जो कि सोलन में आयोजित किए गए थे, पर मुख्य अतिथि व अन्य उपस्थित गण को दिए गए दोपहर के भोजन व अन्य जलपान से सम्बन्धित था। उक्त किया गया व्यय छात्र निधि पर उचित प्रभार नहीं था। अन्य सामग्री पर 20000.00 रु. का व्यय किया गया। इसके अतिरिक्त फर्म का बिल सं. 1553 जिसके लिए 75000.00 रु. का पेशा भुगतान किया गया प्रतीत होता है परन्तु सम्बन्धित बिल जांच हेतु अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया जिस कारण यह स्पष्ट नहीं हो पाया कि उक्त बिल के अन्तर्गत किन मदों पर व्यय किया गया। केवल कुटेशनों व अन्य अभिलेख से यह प्रतीत होता है कि बिल सं. 1553 के अन्तर्गत पारित 75000.00 रु. का पेशा भुगतान भी हि0प्र0 विश्वविद्यालय के किए गए उपरोक्त समारोह के आयोजन व हि0प्र0 विश्वविद्यालय यूथ फेस्टीवल वर्ष 1999 से सम्बन्धित था। हि0 प्र0 विश्वविद्यालय के समारोह के आयोजन हेतु छात्र निधि से व्यय किया जाना व 75000.00 रु. के वाउचर भी अभिलेख में न पाया जाना

275

तथा रोकड़ बही में उद्देश्य व अन्य विवरण सहित प्रविष्टि न करना अनियमितता है। जैसा कि उपरोक्त वर्णित सब पैरा में भी स्पष्ट किया गया है कि इस प्रायोजन हेतु व्यय विश्वविद्यालय द्वारा भी व्यय किए जाने की सम्भावना से भी इन्कार नहीं किया जा सकता परिणामस्वरूप इस राशि के सम्भावित दुर्विनियोजन से भी इन्कार नहीं किया जा सकता। अतः मामले की जांच की जाए तथा समस्त व्यय बिल अंकेक्षणार्थ प्रस्तुत किए जाएं ताकि छात्र निधियों की राशि का दुरुपयोग का पता लगाया जा सके।

§2§ मु0 95000.00 रु. का अनुचित/अनियमित व्यय :-

वाउचर सं. 160/99 द्वारा मै0 राज टेन्ट हाउस सोलन को उनके बिल सं. 1552 व 1553 दिनांक 27.11.99 हेतु 95000.00 रु. का भुगतान किया गया। किए गए भुगतान की जांच करने पर पाया गया कि बिल सं. 1552 दिनांक 27.11.99 द्वारा दिनांक 9.11.99 से 12.11.99 तक हि0प्र0 विश्वविद्यालय बास्केटबाल चैम्पीयनशिप के आयोजन हेतु टेन्ट व कुर्सियों तथा अन्य मदों पर व्यय किए गए जिसकी वसूली उचित स्त्रोत से करके जमा करवाई जाए। यह मामला आवश्यक उचित कार्यवाही हेतु उच्चाधिकारियों के ध्यानार्थ भी लाया जाता है।

§3§ उपरोक्त वर्णित 105380.00 रु. का व्यय हि0प्र0 विश्वविद्यालय के समारोह से सम्बन्धित होने के कारण यदि किन्ही कारणों से छात्र निधि से व्यय किया जाना वांछित भी था, तो भी यह राशि हि0प्र0 विश्वविद्यालय के नाम अग्रिम के रूप में दर्शाई जानी अपेक्षित थी तदोपरान्त यह राशि हि0प्र0 विश्वविद्यालय से प्राप्त करके समायोजित की जानी चाहिए थी। परन्तु ऐसा न करके व्यय छात्र निधि से सीधा ही दर्शा दिया गया तथा लगभग पांच वर्ष का समय व्यतीत होने पर भी उक्त राशि की प्राप्ति हेतु कोई प्रयत्न नहीं किए गए। किसी अन्य संस्था का व्यय छात्र निधि से किए जाने व इस राशि को उक्त संस्था के नाम अग्रिम दर्शाने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए व भविष्य में इस प्रकार की त्रुटि से परिहार किया जाए।

..19..

274

9\. मिश्रित निधि से कार्यालय से सम्बन्धित किए गए व्यय मु0 94891.00 रु. की प्रतिपूर्ति न करना :-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि मिश्रित निधि से कार्यालय से सम्बन्धित बिजली, पानी व टैलीफोन बिलों के भुगतान हेतु निम्न विवरणानुसार राशि 94891.00 रु. का भुगतान किया गया था। यह व्यय कार्यालय से सम्बन्धित था तथा इसका भुगतान कार्यालय कंटीजैन्सी से किया जाना था। इस व्यय से सम्बन्धित भुगतान वाउचरों को प्रधानाचार्य द्वारा भुगतान हेतु पारित करके अमलगामेटिड निधि से भुगतान किया गया था जो कि एक अनियमितता है। यदि कार्यालय से सम्बन्धित व्यय करने हेतु आफिस कंटीजैंसी में बजट नहीं था तो अमलगामेटिड निधि से अग्रिम राशि लेकर कार्यालय सम्बन्धित व्यय किया जाना चाहिए था। तथा आफिस कंटीजैंसी में बजट प्राप्त होने पर अग्रिम राशि की प्रतिपूर्ति करके राशि अमलगामेटिड निधि में जमा की जानी थी। अमलगामेटिड निधि से कार्यालय से सम्बन्धित किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति अथवा इस व्यय की सक्षम प्राधिकारी से कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त करके अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

वाउचर सं.	दिनांक	राशि	व्यय का विवरण।
98/03	25.7.03	33088.00	बिजली बिल व पानी के बिल का भुगतान।
			पोस्टेज स्टैम्प की खरीद पर व्यय।
112/03	7.8.03	3000.00	बिजली बिल का भुगतान।
118/03	22.8.03	649.00	दूरभाष बिल का भुगतान।
120/03	28.8.03	3978.00	फिक्स चार्जिज
128/03	8.9.03	96.00	बिजली का बिल का भुगतान
174/03	21.10.03	8629.00	दूरभाष बिल एवं प्रधानाचार्य को
221/03	25.11.03	4532.00	दूरभाष से सम्बन्धित फिक्स चार्जिज का भुगतान।
			बिजली बिल का भुगतान।
208/03	14.11.03	18443.00	पानी बिल का भुगतान।
215/03	21.11.03	201.00	पानी व बिजली बिल का भुगतान।
234/03	16.12.03	8409.00	-यथोपरि-
253/03	15.1.04	8580.00	दूरभाष बिल का भुगतान।
254/03	17.1.04	5286.00	
	योग=	94891.00	

10. राशि 86689.30 रु. का अनाधिकृत व्यय :-

अंकेक्षण अवधि में छपवाई गई पत्रिकाओं पर वसूली को ध्यान में न रखते हुए अधिक व्यय किया गया था। प्रति छात्र पत्रिका हेतु विद्यार्थियों से जितनी राशि प्राप्त की गई थी पत्रिका छपवाते समय प्रति पत्रिका लागत उससे अधिक आई थी। पत्रिकाओं की छपवाई करते समय प्रति छात्र पत्रिका हेतु प्राप्त राशि से अधिक व्यय नहीं किया जा सकता था। निम्न विवरणानुसार मु0 86689.30 रु. की राशि पत्रिकाओं की छपवाई पर प्राप्त राशि से अधिक व्यय करने बारे औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा अनाधिकृत रूप से व्यय प्राप्ति से अधिक व्यय की गई राशि से सम्बन्धित प्रकरण आवश्यक उचित कार्यवाही हेतु उच्चाधिकारियों के ध्यानार्थ लाया जाता है।

वर्ष	प्रति छात्र पत्रिका हेतुप्राप्त राशि रु. पै.	प्रति पत्रिका छपवाई व्यय. रु. पै.	प्रति पत्रिका छपवाईपर अधिकव्यय रु. पै.	जितनी पत्रिकाएं छपवाईगई। न.	कुल अधिक व्यय. रु. पै.
97-98	25.00	30.20	5.20	2300	11960.00
98-99	25.00	28.95	3.95	1991	7864.45
99-2000	25.00	28.95	3.95	2443	9649.85
2000-01	25.00	32.25	7.25	2250	16312.50
2001-02	25.00	36.75	11.75	2150	25262.50
2002-03	25.00	31.80	6.80	2300	15640.00
					86689.30

11. मु0 25358.00 रु. की मानदेय राशि कर्मचारियों को अनुचित रूप से भुगतान करना :-

छात्र निधियों से किए गए व्यय की जाँच करने पर पाया गया कि कार्यालय में कार्यरत कर्मचारियों को निधि लेखा यथा मिश्रित निधि,होस्टल इत्यादि का कार्य करने हेतु इन्हें पृथक से भुगतान किया गया था। जिसका विवरण निम्न वर्णित है। इन कर्मचारियों को किन नियमों के अन्तर्गत भुगतान किया गया का कोई भी उल्लेख नहीं किया गया जबकि नियमों में इस प्रकार के भुगतान को किए जाने का कोई भी प्रावधान नहीं है। इस प्रकार के किए गए कार्य जो कि इनकी कर्तव्य एवं दायित्व का ही एक भाग है, जिसके लिए पृथक से भुगतान किया जाना किसी भी प्रकार से उचित

 276

नहीं था तथा अत्यन्त आपत्तिजनक भी है। अतः मु0 25358.00 रु. की वसूली सम्बन्धित कर्मचारियों से करके राशि सम्बन्धित निधियों में जमा करवाई जाए व भविष्य में इस प्रकार के भुगतानों से परिहार किया जाए।

वाउचर सं. व भुगतान दिनांक	मानदेय की अवधि	निधि का नाम	कर्मचारी का नाम	भुगतान राशि
24/97 12.11.97	10/97	होस्टल सर्वेन्ट निधि	श्रीमति निर्मल भैगी लिपिक.	249.00
34/97 19.1.98	12/97	-"-	-"-	249.00
28/97 1.12.97	10/97 व 11/97	-"-	-"-	498.00
3/97,7/97, 13/97,21/97, 15/97.	3/97से9/97	-"-	-"-	1728.00
39/97 13.2.98	1/98	-"-	-"-	249.00
43/97 4.4.98	2/98व3/98	-"-	-"-	498.00
6/98 2.6.98	--- वाउचर उपलब्ध नहीं.	-"-	श्री नायकराम व0 लिपिक	332.00
9/98 3.7.98	-"-	-"-	-"-	249.00
21/98 1.12.98	-"-	-"-	श्री रविन्द्र कुमार ठाकुर सहायक	1020.00
2/99 19.5.99	12/98व 1/99से 4/99.	-"-	-"-	1836.00
9/2000 1.5.2000से 31.5.2000	1.5.99से 31.5.2000	-"-	-"-	5232.00
31/2000 23.12.2000	1.6.2000से 31.12.2000	-"-	-"-	2058.00
97/01,3.6.01	1.1.01 से 30.6.01	-"-	-"-	1764.00

..22..

56/01 18.9.01	1.7.01से31.8.01	होस्टल सर्वेन्टनिधि	श्रीमति सुमन गांधी, लिपिक	480.00
7/01 17.11.01	1.9.01से31.10.01	-"-	-"-	516.00
3/97, 7/97, 8/97 व 21/97 10.4.97, 3.6.97, 7.8.97 व 15.10.97				
83/01, 19.2.02	1.11.01से 31/01/02	-"-	-"-	774.00
5/02 27.4.02	2/02से 4/02	-"-	-"-	774.00
12/02 12.7.02	5/02से 6/02	-"-	-"-	516.00
21/02 30.9.02	7/02से 9/02	-"-	-"-	522.00
5/03 4.1.03	1.10.02से 31.12.02	-"-	-"-	540.00
18/03 3.4.03	1/03से31.3.03	-"-	-"-	522.00
35/03 6.8.03	1.4.03से31.7.03	-"-	-"-	552.00
46/03 1.10.03	8/03से9/03	-"-	-"-	648.00
60/03 4.12.03	10/03से 11/03	-"-	-"-	636.00
69/03 3.2.04	12/03व1/04	-"-	-"-	636.00
177/97	11/97से 2/98	मिश्रित निधि	श्रीमति निर्मला नेगी, क्लर्क	200.00
176/97	11/97 से 2/98	-"-	श्रीमति चमेली पंवर वरिष्ठ लिपिक	120.00
44/98 व 122/98	7/98से11/98	-"-	-"-	500.00

139/99	9/99 से 11/99	-"-	श्रीमति सीमेवर व0 लिपिक	90.00
76/01	1/01 से 9/2001	-"-	श्री डी.एन.शर्मा अधीक्षक	270.00
176/2000	3/2000से 12/2000	-"-	-"-	300.00
176/2000	5/2000से 8/2000	-"-	श्री रविन्द्र ठाकुर वरिष्ठ लिपिक	400.00
179/2000	9/2000से 12/2000	-"-	श्रीमति आशा शर्मा	400.00
			योग=	25358.00

उपरोक्त प्रकरण केवल चयनित मास से ही सम्बन्धित है। इसके अतिरिक्त अन्य मासों से सम्बन्धित इस प्रकार के भुगतानों की गणना कार्यालय स्तर पर करके वसूली योग्य समस्त राशि की वसूली की जानी सुनिश्चित की जाए।

पैरा-12 :- वाउचर सं. 29/99 दिनांक 27.7.99 राशि 17300.00 रु. (मु.17300/-रु) की आय को रोकड़ वही में 5 वर्ष व्यतीत होने पर भी लेखाबद्ध न करना:-

उपरोक्त वाउचर द्वारा मै0 महावीर पेपर प्रोडक्ट सोलन के बिल सं. 5042 दिनांक 22.7.99 के द्वारा सप्लाई किए गए 2190 पहचान पत्र हेतु 17300.00 रु. का भुगतान किया। किए गए भुगतान की जाँच करने पर पाया गया कि महाविद्यालय द्वारा यह भुगतान पहचान पत्र निधि से किया जाना अपेक्षित था जिसे ध्यान में रखते हुए पहचान पत्र निधि के लेखा से भी वाउचर सं. 1/99 दिनांक 30.7.99 को भुगतान 17300.00 रु. किया गया जिसे मिश्रित निधि के नाम जमा करवाना दर्शाया गया। अतः पहचान पत्र निधि रोकड़ वही में उक्त की गई प्रविष्टि व तथ्यों को ध्यान में रखते हुए यह राशि मिश्रित निधि की रोकड़ वही में आय के रूप में दर्ज की जानी अपेक्षित थी परन्तु रोकड़ वही के अवलोकन करने पर इस प्रकार की कोई भी प्रविष्टि नहीं पाई गई। एक व्यय को दो दो रोकड़ वही में व्यय के रूप में दर्शाना तथा दूसरी निधि की आय को लगभग 5 वर्ष तक लेखाबद्ध न करना एक गम्भीर अनियमितता है जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए व मिश्रित निधि की रोकड़ वही में मु0 17300.00 रु. की

 229

राशि आयके रूप में दर्शाई जानी सुनिश्चित की जाए।

13. **मु0 14800.00 रु. का अनियमित भुगतान :-**

मिश्रित निधि से किए गए व्यय की जाँच करने पर पाया गया कि प्राचार्य द्वारा समय-समय पर प्रति पीरियड की दर से विभिन्न विषय के प्रवक्ताओं को तैनात करके भुगतान किया गया। निदेशक, शिक्षा विभाग हि0प्र0 द्वारा समय-समय पर जारी शिक्षा निर्देशों के अनुसार पीरियड के आधार पर प्रवक्ताओं की तैनाती रिक्त पद के स्थान पर की जा सकती है परन्तु किए गए भुगतानों की जाँच करने पर पाया गया कि भुगतान करते समय यह नही सत्यापित किया गया कि उक्त विषय के कितने पद रिक्त थे तथा उनकी तैनाती किस रिक्त पद के विरुद्ध की गई है। ऐसा न होने पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा दी गई स्वीकृति से सन्दर्भित किया जाना अपेक्षित था। अतः उपरोक्त सन्दर्भ में किए गए भुगतानों की सही जांच नहीं की जा सकी। निम्न विवरणानुसार चयनित मासों में 14800.00 रु. का भुगतान प्रति पीरियड के आधार पर प्रवक्ताओं को किया गया। प्रत्येक तैनात किए गए प्रवक्ताओं के किए गए भुगतानों का औचित्य रिक्त पदों के साथ स्पष्ट किया जाए अन्यथा की गई अनियमितता को सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करके नियमित करवाना सुनिश्चित करें तथा की गई कार्यवाही से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

वाउचर सं.	राशि	टिप्पणी
134/99	3400.00	कामर्स लेक्चरर
149/99	3300.00	फिजिक्स लेक्चरर
78/01	2175.00	मैथ लेक्चरर (शिवानी सूद)
143/2000	5925.00	-"-
योग:	14800.00	

14. **वाउचर सं. 134/98 दिनांक 26.12.98 राशि 12000.00 रु. की प्राप्ति का रोकड़ बही में न पाया जाना :- मु0 12000.00 रु.**

उपरोक्त वाउचर द्वारा श्री अनुप भल्ला, प्रवक्ता को एन.एस.एस. के कैम्प के आयोजन हेतु मिश्रित निधि से 12000.00 रु. की राशि उधार स्वरूप दी गई। सम्बन्धित वाउचर व अग्रिम रजिस्टर में यह वर्णित था कि यह उधार राशि चैक सं. 176645 दिनांक 13.7.99 के द्वारा वापिस प्राप्त हुई तथा उक्त प्रविष्टि के आधार पर महा-

विद्यालय द्वारा उक्त उधार ली गई राशि भी समायोजित करली गई परन्तु यह राशि कौन सी रसीद सं. व दिनांक के द्वारा प्राप्त की गई तथा इसे रोकड़ बही में कहां किस दिनांक को लेखाबद्ध किया गया है स्पष्ट नहीं हो पाया तथा न ही अवलोकन करने पर यह प्रविष्टि रोकड़ बही में की गई पाई गई। बिना रसीद व रोकड़ [redacted] में की प्रविष्टि का उल्लेख किए ही उधार ली गई राशि का समायोजन कर दिया जाना अपनेआप में ही एक गम्भीर अनियमितता है। जमा करवाई गई राशि बारे स्थिति तथ्यों सहित इस विभाग को सूचित की जाए अन्यथा वसूली सम्बन्धित कर्मचारी/अधिकारी से करके राशि जमा करवाई जाए।

15. वाउचर सं. 156/02 दिनांक 23.9.02 मु0 8920.00 रु. :-

उपरोक्त वाउचर द्वारा मु0 8920.00 रु. का भुगतान तीन कोट क्रय करने के लिए किया गया था। इन कोट के क्रय से सम्बन्धित स्टॉक प्रविष्टि नहीं की गई थी। बिल पर दिए गए नोट के अनुसार यह कोट एस.सी.ए. मैम्बर को दिए गए थे। लेकिन कोट की प्राप्ति के सम्बन्ध में सम्बन्धित एस.सी.ए. सदस्यों से प्राप्त रसीद अभिलेख में उपलब्ध नहीं थी। न ही उपरोक्त व्यय अमलगामेटिड निधि पर उचित प्रभार था। अतः उपरोक्त सदस्यों को दिए गए कोट की प्राप्ति के सम्बन्ध में रसीदें आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत की जांए तथा खरीद पर किए गए व्यय को सक्षम अधिकारी से नियमित करवाया जाए अन्यथा किए गए व्यय की उचित माध्यम से वसूली करके अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दिखाई जाए।

16. वाउचर नं. 144/99 दिनांक 3.12.99 राशि 31942.00 रु. मु0 1850.00 रु. का अधिक भुगतान :-

उपरोक्त वाउचर द्वारा मै0 राजधानी स्पोर्टस के बिल सं. 3200 दिनांक 3.9.99 के द्वारा आपूर्ति किए गए खेलकूद के सामान हेतु 31942.00 रु. का भुगतान किया गया। किए गए भुगतान की जांच करने पर पाया गया कि निम्न विवरणानुसार खरीदे गए सामान हेतु अनुमोदित दरों से अधिक भुगतान कर दिया गया। मु0 1850.00 रु. के किए गए अधिक भुगतान बारे स्थिति स्पष्ट की जाए व आवश्यक वसूली करके राशि जमा करवाई जाए।

२८१

सामान का विवरण	अनुमोदित दर.	भुगतान की गई दर.	अधिक भुगतान।	टिप्पणी
10 बॉक्स शटलकॉक	120.00	245.00	1250.00	बिल में सप्लाई किए गए सामान का ब्रांड मेल नहीं करता था तथा ब्रांड बारे कोई उल्लेख नहीं था।
4 नं. बैटिंग ग्लब्स	315.00	400.00	340.00	दर संविदा से भुगतान दर मेल नहीं करती ।
2 नं. वालीबाल नेट	245.00	345.00	200.00	ब्रांड व मद सं. का बिल में कोई उल्लेख नहीं।हैवी नेट की दर चार्ज की गई जबकि दर संविदा में दो दरें थी।
20 नं. नी कैप	16.00	19.00	60.00	-"-
	योग:		1650.00 रु०	

17. मु0 39106.00 रु. की खरीद बिना कुटेशनें आमन्त्रित किए ही सीधे एक ही फर्म से किया जाना :-

मिश्रित निधि से किए गए व्यय की जांच करने पर पाया गया कि निम्न विवरणानुसार मु0 39106.00 रु. की की गई खरीद बिना औपचारिकताओं को पूर्ण किए सीधे एक ही फर्म से क्रय कर ली गई। परिणामस्वरूप छात्र निधि से की गई खरीद पर बाजार प्रतियोगिता के लाभ से वंचित होना पड़ा। बिना आवश्यक औपचारिकता-ओं को पूर्ण किए सीधे एक ही फर्म से क्रय किए जाने बारे स्थिति तथ्यों सहित स्पष्ट की जाए।

..27..

282

क्रम सं.	वाउचर सं. व दिनांक	विवरण	खरीदे गए सामान का विवरण	भुगतानराशि
1.	55/97 2.8.97	मै0 हरीश ब्रदर्ज, बिल सं. 718 27.5.97	10 नं. जी.आई. पाईप प्रथम श्रेणी.	3746.00
2.	241/03	मै0 हिमाचल फर्नीचर प्रा0लि0 सोलन बिल सं. 2707, दि. 22.12.03	12 एमएम बैड प्लाई, 60 नं. व 5 नं. डाईनिंग टेबल साईज 5x3	35360.00
			योग:	39106.00

18. वाउचर सं. 39/98 दिनांक 25.7.98 राशि 1040.00 रु. मु0 1520.00 रु. के प्रास्पेक्टस को अनियमित रूप से समाप्त करके कम राशि जमा करवाना :-

उपरोक्त वाउचर द्वारा मै0 शिव प्रिंटर एण्ड पोली व र्स सोलन को उनके बिल सं. 3609 दिनांक 19.7.98 द्वारा सप्लाई किए गए 200 नं. होस्टल प्रौस्पेक्टस हेतु 1040.00 रु. का भुगतान किया गया। उक्त छपवाए गए प्रौस्पैक्टस का लेखा पृ0 20 पर अंकित किया गया। उक्त लेखा की जांच करने पर पाया गया कि वर्ष 98-99 में कुल प्रौस्पेक्टस की बिक्री 124 नं. की की गई तथा शेष 76 नं. प्रौस्पैक्टस में बकाया था जिनको "नष्ट" किया गया दर्शाया गया परन्तु इन नष्ट किए गए प्रौस्पैक्टस को किसी भी सक्षम अधिकारी यथा प्राचार्य महाविद्यालय द्वारा सत्यापित नहीं किया गया था। केवल नष्ट लिख दिए जाने से ही उक्त टिप्पणी द्वारा इन्हे समाप्त कर दिया जाना किसी भी प्रकार से उचित नहीं ठहराया जा सकता। इसके अतिरिक्त बिक्री लेखा विवरण भी अंकेक्षण में उपलब्ध नहीं करवाया गया। 76 नं. प्रौस्पेक्टस की बकाया संख्या को अनियमित रूप से नष्ट कर दिए जाने तथा बिक्री विवरण भी तैयार न किए जाने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए।

19. मु0 1213.00 रु. का अनावश्यक अनुचित भुगतान :-

वाउचर सं. 144/98 दिनांक 28.12.98 राशि 11090.00 रु. :-

उपरोक्त वाउचर द्वारा श्री डी.एन.शर्मा अधीक्षक को गोवा के एजुकेशनल टूर माह 1 व 2/99 जिसमें 18 छात्र व 2 कर्मचारी गए थे, के लिए 11090.00 रु. की राशि अग्रिम के रूप में दी गई। उक्त अग्रिम के समायोजन लेखा की जांच करने पर पाया गया

283

कि प्राचार्य द्वारा 10 छात्रों को शैक्षणिक भ्रमण पर भेजने हेतु महाविद्यालय के दो कर्मचारियों को तैनात किया गया जबकि हि0प्र0 शिक्षा संहिता में दिए गए प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए 30 छात्रों पर एक कर्मचारी ही भेजा जाना अपेक्षित था। अतः एक से अधिक कर्मचारी की तैनाती अनावश्यक/अनियमित रूप से किए जाने के परिणामस्वरूप निम्न विवरणानुसार मु0 1213.00 रु. का अधिक/अनावश्यक भुगतान मिश्रित निधि से किया गया जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए। भविष्य में छात्रों की संख्या को ध्यान में रखते हुए कर्मचारी की तैनाती भी की जाए।

1.	रेलवे किराया सोलन से गोवा एक व्यक्ति	508.00
2.	आरक्षण चार्जिज	95.00
3.	बस किराया पणजी से लौंडा व वापसी	100.00
4.	दैनिक भत्ता 17 दिनों के लिए	510.00
	योग:	1213.00

20. मु0 1900.00 रु. के वाउचर बिना भुगतान पारित किए रोकड़ वही में लेखांकित करना :-

निम्न वर्णित प्रकरणों में मिश्रित निधि से भुगतान किया गया। परन्तु किए गए भुगतान से सम्बन्धित वाउचर सक्षम प्राधिकारी द्वारा भुगतान हेतु पारित नहीं है। वाउचरों को बिना पारित किए ही भुगतान कर दिए जाने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए व समस्त किए गए भुगतानों को सक्षम प्राधिकारी द्वारा तथ्यों को ध्यान में रखते हुए पारित/सत्यापित करवाया जाए अन्यथा सम्बन्धित कर्मचारी अधिकारी से अनियमित रूप से दर्शाए गए भुगतानों की वसूली की जाए।

क्रम सं.	वाउचर सं. व दिनांक	भुगतान विवरण	भुगतान राशि रु.
1.	62/97, 14.8.97	श्रीमति निर्मल नेगी को पानी का कनेक्शन लगाने हेतु नगरपालिका सोलन द्वारा जारी रसीद सं. 65, दि. 1.8.97 के लिए भुगतान	100.00
2.	178/97, 4.3.98	मिस अनुराधा कल्चर एक्टीविटी ईनाम राशि	600.00
3.	220/97, 31.8.97	श्री रुचीराम, पारिश्रमिक एकांटी स्टेटमैंट	1200.00
		योग=	1900.00 रु.

21. **मु0 1169.00 रु. का अधिक भुगतान :-**

वाउचर सं. 115/02 दिनांक 25.7.02 द्वारा मु0 25000/ रु0 की ~~सर्विस~~ अग्रिम (राशि) का भुगतान श्रीमति शशिबाला प्रवक्ता अंग्रेजी को अंग्रेजी विषय की पुस्तकें क्रय करने हेतु किया गया था। उपरोक्त अग्रिम के विरुद्ध निम्न बिल प्रस्तुत किए गए।

बिल सं.	दिनांक	फर्म का नाम	राशि	टिप्पणी
2036	31.7.02	यूनिवर्सल बुक डिपो सैक्टर 17-डी चण्डीगढ़	23168.00	
3380	31.7.02	वैरायटी बुक स्टोर चण्डीगढ़.	1713.00	
		योग=	24881.00	

उपरोक्त बिल सं. 2036 दिनांक 31.7.02 का जोड़ गणना में गलती के कारण मु0 21999.00 रु. के स्थान पर मु0 23168.00 रु. दर्शाया गया था। जिसके फलस्वरूप राशि 1169.00 रु. का अधिक भुगतान किया गया था जिसकी वसूली सुनिश्चित की जाए।

इसके अतिरिक्त अग्रिम की शेष बची राशि मु0 119.00 रु. (25000-24881.00 रु.) के जमा के सम्बन्धमें भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए। अतः इस राशि के जमा बारे रसीद प्रस्तुत की जाए अन्यथा राशि की वसूली सुनिश्चित की जाए।

22. **मु0 575.00 रु. का अधिक भुगतान :-**

वाउचर सं. 89/01 द्वारा श्री रोशन लाल प्रवक्ता अंग्रेजी को दिनांक 11.10.01 को मु0 20000/-रु. अग्रिम प्रदान किया गया था। अग्रिम वाउचर के साथ समायोजन से सम्बन्धित वाउचर भी संलग्न थे जिनके अनुसार कुल व्यय 18611.00 रु. दर्शाया गया था। व्यय के विवरणानुसार वाउचर सं. 13 पर मै0 कीर्ति बैंगल स्टोर को बिल सं 2806 दिनांक 15.10.01 द्वारा मु0 1754.00 रु. का भुगतान किया दर्शाया गया था। गणना में गलती के कारण उपरोक्त बिल का जोड़ मु0 1179.00 रु. के स्थान पर मु0 1754.00 रु. दर्शाया गया था जिसके फलस्वरूप मु0 575.00 रु. (1754-1179.00 रु.) अधिक भुगतान किया गया था। अंकेक्षण के दौरान आपत्ति उठाए जाने पर यह राशि रसीद सं. 1184979

 281

दिनांक 19.6.04 द्वारा मु0 575.00 रु. जमा करवा दिए गए थे। विभिन्न स्तरों पर गणना की जाँच किए जाने के बावजूद गणना में गलती के कारण अधिक भुगतान किया जाना एक गम्भीर अनियमितता है। अतः भविष्य में इस तरह की अनियमितता न दोहराया जाना सुनिश्चित किया जाए।

23. मु0 200 रु. का अधिक भुगतान :-

वाउचर सं. 147/02 माह 9/2002 द्वारा बाथरूम एवं टायलेट की फर्निशिंग से सम्बन्धित मजदूरी की राशि 11,112.00 रु. का भुगतान किया गया था। वाउचर के साथ संलग्न मस्ट्रोल में श्री रोजेन्द्र कुमार प्लम्बर को 6 दिन के लिए मु0 70.50 रु. प्रतिदिन की दर से मु0 623.00 रु. का भुगतान दर्शाया गया था जबकि भुगतान मु0 423.00 रु. (70.50×6 दिन) का किया जाना था गणना में गलती के कारण मु0 200/=रु. (623.00-423.00 रु.) का अधिक भुगतान किया गया था जिसकी वसूली सुनिश्चित की जाए।

24. अभिलेखों में वाउचर उपलब्ध न होना :-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि वाउचर नस्तियों का रख रखाव उचित प्रकार से नहीं किया गया था। वाउचर नस्तियों में वाउचरों को लूज रखा था वाउचरनस्तियों की बाईंडिंग भी नहीं की गई थी। अभिलेखों का उचित प्रकार से रख रखाव न करना अनियमित है। अतः अभिलेखों का उचित प्रकार से रख रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाए। इसके अतिरिक्त निम्न वाउचर अभिलेखों में उपलब्ध नहीं थे। अतः यह वाउचर आगामी अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत किए जाएं अन्यथा दर्शाए गए भुगतान की उचित माध्यम से वसूली सुनिश्चित की जाए।

वाउचर सं. /तिथि		राशि रु. पै.	भुगतान का विवरण
31/01	18.7.2001	354.00	श्री डी.एन.शर्मा को भुगतान दर्शाया गया था। चैक सं. 345117 दिनांक 18.7.01
149/02,	21.9.02	2100.00	श्री नारायण सिंह चैक सं. 479789 दिनांक 21.9.02
151/02	21.9.02	786.00	श्री भीम सिंह राठौर चैक सं. 479790 दिनांक 21.9.02.

286

25. वाउचर सं. 139/2000 दिनांक 2.12.2000 राशि 760.00 रु.

मु0 760.00 रु. दैनिक भत्ता के रूप में अनियमित भुगतान :-

उपरोक्त वाउचर द्वारा श्री सुरेन्द्र सिंह ठाकुर, साई कोच(फुटबाल) जिला खेल कूद कार्यालय सोलन को दिनांक 3.10.2000 से 6.10.2000 तक सरस्वती में आयोजित एच.पी. इन्टर कालेज फुटबाल चैम्पीयनशिप में कालेज टीम ले जाने हेतु यात्रा व्यय बिल के रूप में 760/-रु. का भुगतान किया गया। किए गए भुगतान की जांच करने पर पाया गया कि उक्त कर्मचारी किसी अन्य विभाग से सम्बन्धित था। प्राचार्य द्वारा किसी अन्य विभाग/स्थापना के अधीन कार्यरत कर्मचारी के कालेज कार्य के लिए तैनाती करना तथा अन्य विभाग के कर्मचारी को यात्रा भत्ता भी कालेज निधि से प्रदान करना अनियमित ही नहीं अत्यन्त आपत्तिजनक भी था इसके अतिरिक्त सम्बन्धित विभाग से की गई तैनाती तथा यात्रा भत्ता के भुगतान बारे भी किसी प्रकार का प्रमाण पत्र संलग्न/प्राप्त नहीं किया गया था। पाई गई अनियमिता बारे स्थिति स्पष्ट करते हुए आवश्यक वसूली करके राशि जमा करवाई जाए।

इसके अतिरिक्त उपरोक्त भुगतान में होटल चार्जिज के रूप में 150.00 रु. का भी भुगतान किया गया है जो कि देय नहीं थे जिस बारे भी स्थिति स्पष्ट की जाए।

26. (क) वाउचर सं. 166/2000 दिनांक 30.12.2000 राशि 357.00 रु.

मु0 357.00 रु. का अनियमित/अनुचित भुगतान :-

उपरोक्त वाउचर द्वारा श्री केवल राम, डी.पी.ई.+2 जो कि संलग्न टूर डायरी अनुसार राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला, नेनाटिक्कर में कार्यरत थे, को हिमांचल प्रदेश विश्वविद्यालय ईंटर कालेज क्रास कन्ट्री रेस (मैन) में दिनांक 9.10.2000 को सरस्वती नगर में की गई तैनाती हेतु 357.00 रु. का भुगतान मिश्रित निधि से किया गया। किए गए भुगतान की जांच करने पर पाया गया कि उक्त कर्मचारी राजकीय महाविद्यालय में कार्यरत ही नहीं था। किसी अन्य स्थापना जिसका पृथक से प्रभारी था, को कोई भी भुगतान दैनिक भत्ता/व्यय के रूप में किया जाना आपत्तिजनक था। उक्त कर्मचारी द्वारा इस दिनांक के सन्दर्भ में कोई भी भुगतान अपने मूल तैनाती स्थान से नहीं लिया गया

बारे स्थिति स्पष्ट नहीं थी। किसी अन्य स्थापना के अधीन कार्यरत कर्मचारी की महाविद्यालय के कार्य से की गई तैनाती व दैनिकी भत्ते के किए गए भुगतान बारे स्थिति स्पष्ट की जाए व मु0 357.00 रु. की वसूली करके मिश्रित निधि में जमा करवाई जाए।

(ख) मिश्रित निधि से किए गए व्यय की जांच करने पर पाया गया कि कर्मचारी, अधिकारी व अन्य व्यक्तियों को विभिन्न प्रयोजनों से की गई तैनाती हेतु मिश्रित निधि से भुगतान किया गया परन्तु किए गए भुगतान से सम्बन्धित कोई भी पेमेन्ट चैक रजिस्टर नहीं लगाया गया जिससे मिश्रित निधि से समय समय पर की गई तैनाती एवं भुगतान की स्थिति स्वतः स्पष्ट नहीं होती तथा दोहरे भुगतान की सम्भावना से भी इन्कार नहीं किया जा सकता। उक्त महत्वपूर्ण अभिलेख को तैयार न किए जाने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए व उक्त रजिस्टर को तैयार करके अनुपालना से इस विभाग को सूचित किया जाए। भविष्य में इस प्रकार के भुगतान को करते समय उक्त भुगतान रजिस्टर में आवश्यक प्रविष्टि की जानी भी सुनिश्चित की जाए। इस प्रकार के कुछ उदाहरण निम्न वर्णित है :-

क्रम सं.	वाउचर सं.	व्यक्ति/कर्मचारी /अधिकारी का नाम व पदनाम।	अवधि	भुगतानराशि 250 रु./
1.	56/97 2.8.97	श्री सोहन लाल, स्पोर्टस पीयन	28.7.97 से 31.7.97	170.00
2.	57/97 2.8.97	श्री विजय कुमार, सफाई कर्मचारी को कमरों की सफाई हेतु	3.7.97 से 17.7.97	686.00
3.	174/4.3.98	श्री आर. पी. रावल बर्सर, 11/97से2/98.	11/97से2/98	600.00
4.	175/4.3.98	श्रीमति कान्ता ठाकुर जे. एल. ए.	11/97 से 12/97	100.00
5.	176 4.3.98	श्रीमति चमेली पंवर एनसीसी क्लर्क	11/97से3/98	120.00
6.	177 4.3.98	श्रीमति निर्मल नेगी, स्पोर्टस क्लर्क.	11/97से 3/98	200.00
7.	218/97 31.3.98	श्रीमति शकुन्तला देवी स्कल्पचर चपड़ासी	3/98	465.00

..33.

8. 219,31.3.98	श्री सोहन लाल स्पोर्टस चपड़ासी	3/98	1275.00
9. 34/98 3.7.98	श्री लायक राम स्पोर्टस क्लर्क	6/98	60.00
10. 120/98 व 121/98 1.12.98	श्री भरत लाल, स्पोर्टस पीयन श्रीमती शकुन्तला देवी स्कल्पचर विभाग.	11/98	345.00
11. 146/98 30.12.98	श्री भरत राम, स्पोर्टस पीयन व श्री शकुन्तला स्कल्पचर विभाग।	12/98	1905.00
12. 33/99 31.7.99	श्री रामुराम, स्पोर्टस पीयन	7/99	1122.00
13. 134/99 1/11/99	श्रीमति अनितावर्मा प्रवक्ता	20.10.99से 24.11.99तक	3400.00
14. 149/99	श्रीमति मंजु देवी	5.11.99व 6.12.99	3300.00
15. 158/99	श्रीमति शकुन्तला देवी स्पोर्टस पीयन.	10/99व11/99	815.00
16. 170/99	हरविन्द्र सिंह कोच	12/99	3782.00
17. 171/99	भरत लाल, पीयन	12/99	1581.00
18. 160/2000	श्री गोविन्द्र सिंह, कोच	12/2000	3415.00
19. 161/2000	श्री राजेन्द्र सिंह पीयन	12/2000	1428.00
20. 162/2000	श्री संत राम स्वीपर	12/2000	1479.00
21. 77/01	श्री संतराम स्वीपर	9/2001	750.00
22. 86/01	श्री हेमराज शर्मा(वरसर)	5/01से9/01	1530.00
23. 135/2000	श्री सन्त राम स्वीपर	11/2000	3660.00
24. 140/2000 व 141/2000	श्री गोविन्द सिंह कोच श्री राजिन्द्र पीयन	11/2000 11/2000	1530.00

(ग) इसी प्रकार से मिश्रित निधि से किए गए विभिन्न प्रयोजनों से सम्बन्धित भुगतान का कोई भी चेक रजिस्टर भी तैयार नहीं किया गया है। जिससे किसी भी प्रयोजन पर हुए व्यय की मास वार/वर्षवार स्थिति स्पष्ट नहीं होती तथा दोहरे भुगतान को भी रोका नहीं जा

सकता। आवश्यक अभिलेख अविलम्ब तैयार करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(घ) सरकार द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों के अनुसार दैनिक भोगी कर्मचारी को छः दिन के पश्चात एक छुट्टी प्रदान की जाती है। महाविद्यालय द्वारा निम्न विवरणानुसार विभिन्न उद्देश्यों हेतु रखे गए दैनिक भोगी कर्मचारियों को पूरा माह उपस्थिति दर्शाकर भुगतान किया जा रहा था। छः दिन के पश्चात इन्हे छुट्टी प्रदान नहीं की गई थी। इसके अतिरिक्त राजपत्रित अवकाश व अन्य छुट्टियों के लिए भी भुगतान किया दर्शाया गया था। छः दिन के पश्चात छुट्टी प्रदान न किए जाने बारे तथा राजपत्रित अवकाश की भुगतान दर्शाए जाने बारे औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा राजपत्रित अवकाश के दिन किए गए भुगतान की अपने स्तर पर गणना करके वसूली सुनिश्चित की जाए।

27.

वाउचर सं.	दिनांक	राशि रू.
31/2000	14.7.2000	936.00
32/2000	14.7.2000	858.00

(क) उपरोक्त वाउचरों द्वारा मै0 सहगल प्रींटरस व पेपर्स स्टोर सोलन के बिल सं. 682,683 दिनांक 18.3.2000 व 21.3.2000 द्वारा सप्लाई किए गए 250 नं. आमन्त्रण पत्र व वार्षिक रिपोर्ट 60 नं. हेतु क्रमश: 858.00 रू. व 936.00 रू. का भुगतान किया गया। परन्तु उक्त क्रय सामग्री की प्राप्ति की प्रविष्टियां स्टॉक रजिस्टर में नहीं की गई। बिना स्टॉक रजिस्टर में लेखाबद्ध तैयार किए ही भुगतान कर दिए जाने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए केवल वाउचर पर ही यह लिखा गया कि प्राप्त व प्राईज डिस्ट्रीब्यूशन हेतु वितरित किए गए है। स्टॉक रजिस्टर में लेखाबद्ध तैयार न किए जाने बारे स्थिति स्पष्ट करते हुए आवश्यक लेखा तैयार करके अनुपालना से इस विभाग को सूचित किया जाए। भविष्य में इस प्रकार के व्यय से सम्बन्धित लेखा स्टॉक रजिस्टर में रखा जाना सुनिश्चित किया जाए।

(ख) निम्न प्रकरणों में मिश्रित निधि से विभिन्न प्रयोजनों हेतु भुगतान किए गए परन्तु निम्न वर्णित प्रकरणों में किए गए भुगतानों से सम्बन्धित रसीदें अभिलेख में नहीं पाई गई। आवश्यक रसीदों के बिना ही दर्शाए गए भुगतानों बारे स्थिति स्पष्ट की जाए व आवश्यक रसीदें प्राप्त करके सूचना से इस विभाग को सूचित किया जाए।

क्रम सं.	वाउचर सं. व दिनांक	भुगतान का विवरण	भुगतान राशि
1.	220/97,31.3.98	श्री तहलो राम, पारिश्रमिक	1200.00
2.	157/99,15.12.99	मै0 राजधानी स्पोर्टस शिमला बिल सं. 3314,दि. 6.11.99	3082.00
3.	113/02,24.7.2002	श्री हेम राज ब्रसर, को माह 5/02 व 6/02 के लिए भुगतान।	1500.00

28. मु0 64897.00 रु. के मूल्य का सामान बिना किसी आधार के प्रयोग दर्शाना :-

कैमिस्ट्री विभाग के स्टाक रजिस्टर की जांच करने पर पाया गया कि खरीदे गए सामान को केवल "ब्रोकन" या "यूज्ड" लिख कर प्रयोग दर्शा दिया गया तथा इस प्रकार की प्रविष्टियों को किसी भी सक्षम अधिकारी द्वारा सत्यापित नहीं किया गया था। इस प्रकार के प्रयोग को एक ही दिनांक में एक मुश्त ही दर्ज करके समाप्त या अत्याधिक प्रयोग (बिना किसी सन्दर्भ या वास्तविक प्रयोग/आधार के) दर्शाया गया था। इस प्रकार के कुछ मदों के उदाहरण निम्न वर्णित है। खरीदे गए सामान को बिना किसी स्पष्ट आधार के विवरण तैयार किए ही समाप्त कर दिया जाना अपने आप में ही एक गम्भीर अनियमितता है जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए व इस प्रकार के पाए गए समस्त अनियमित प्रयोग बारे विवरण तैयार करके सक्षम प्राधिकारी द्वारा सत्यापित किया जाए व ~~शेष~~ पाए ~~जाने~~/ गए अनुचित/अनियमित प्रयोग बारे जिम्मेवारी निर्धारित करके वसूली सम्बन्धित कर्मचारी/अधिकारी से करके जमा करवाई जाए। भविष्य में प्रयोग प्रत्येक दिनवार/माहवार तैयार करके सक्षम प्राधिकारी से सत्यापित करवाकर ही किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

मद का नाम	दर्शाया गया प्रयोग दिनांक /अवधि	स्टॉक रजिस्टर पृ0 सं.	जारी मात्रा.	मूल्य रु.
एनटीमोनी क्लोराईड	11.12.98	1	500ग्रा.	450.00
-"- पोटाशियम टरेट	17.4.97व	2	1000ग्रा.	864.00
बीकर 500 एमएल	11.12.98 18.4.98 16.10.01	119	10 नं. 50 नं.	6300.00

बीकर 250 एमएल	9.4.97	120	30 नं.	3900.00
	18.4.98		30 नं.	
फनल्स ग्लास 3"-65 एम.एल.	8.4.96	7	50 नं.	
	8.4.97		30 नं.	10290.00
	26.3.99		50 नं.	
	10.10.01		80 नं.	
थर्मामीटर	19.4.95	16	10 नं.	
	6.4.96		15 नं.	990.00
	9.4.97		5 नं.	
	18.10.01		15 नं.	
स्टेलग्रोमीटर	9.4.97	65	20 नं.	1200.00
	18.4.98		10 नं.	
विस्कोमीटर	6.4.96	66	30 नं.	
	9.4.97		25 नं.	3234.00
	18.4.97		10 नं.	
	26.3.99		12 नं.	
केपीलरी ट्यूब	20.4.95	86	3 पेकट	360
	6.4.96		4 पेकट	
	9.4.97		5 पेकट	
बीकर 100 एम.एल	20.4.95	108	6 नं.	777.00
	6.4.96		10 नं.	
	9.4.97		6 नं.	
	16.10.01		15 नं.	
एल्यूमिनियम पाउडर	17.4.98	3	500ग्रा.	148.00
पोटाशियम परसल्फेट	11.12.98	4	250 ग्रा.	95.00
एल्यूमिनियम सल्फेट	17.4.97 व	5	2000 ग्रा.	232.00
	11.12.98			
	11.12.98	12	2000 ग्रा.	151.00
-"-	10.7.02	5	3000ग्रा.	516.00
-"-	4.7.2002	12	3000 ग्रा.	354.00
-"- क्लोराईड	10.4.97	6	2000 ग्रा.	594.00
	11.12.98		1000 ग्रा.	
एमोनियम एसीटेट	17.4.97	7	500ग्रा.	174.00
	11.12.98		500 ग्रा.	
-"- ब्रोमाईड	11.12.98	8	1000 ग्रा.	540.00
-"- नाईट्रेट	11.12.98	10	2000ग्रा.	216.00
-"-	11.12.98	28	500 ग्रा.	90.00

एमोनियम फास्फेट	10. 4. 95 8. 4. 95 17. 4. 97 11. 12. 98	22	1000 ग्राम 2000 ग्राम 1000 ग्राम 1000 ग्राम	1080.00
एसटोमाईड	17. 4. 97 11. 12. 98	31	2000 ग्राम 1000 ग्राम	628.00 314.00
एमोनियम कार्बोनेट	17. 4. 97 11. 12. 98	39	1500 ग्राम 500 ग्राम	320.00
एनीलाईन	17. 4. 97 11. 12. 98	41	4000 एमएल 2000 एमएल	778.00
बेरीयम कार्बोनेट	17. 4. 97	44	500 ग्राम	157.00
बेरीयम क्लोराईड	10. 4. 95 8. 4. 96 17. 4. 97 11. 12. 98	45	1500 4000 3000 1000	1026.00
कोपर नाईट्रेट	17. 4. 97 11. 12. 98 4. 7. 02	87	2000 ग्रा. 1000 ग्रा. 1000 ग्रा.	1256.00
क्रोमियम कार्बोनेट	17. 4. 97	89	1000 ग्रा.	720.00
कोपर क्लोराईड	17. 4. 97 11. 12. 98	96	2000 ग्रा. 1500 ग्रा.	1351.00
[illegible]	17. 4. 97 11. 12. 98	98	500ग्रा. 500 ग्रा.	260.00
क्लोरोफार्म	18. 4. 95 8. 4. 96 17. 4. 97	102	2लीटर 2 लीटर 1 लीटर	1080.00
कैल्शियम कार्बोनेट	17. 4. 97 11. 12. 98 4. 7. 02	119 119	1000 ग्रा. 1000 ग्रा. 2000 ग्रा.	 2988.00 2720.00
एनथ्रासेन	17. 4. 97	120	200ग्रा.	594.00
डाईमिथाईल ग्लाई-ओक्सीमाईन.	8. 4. 96 17. 4. 97	122	250 ग्रा. 250 ग्रा.	1080.00
डाईफेनीलामाईन	8. 4. 96 17. 4. 97	124	100ग्रा. 200ग्राम	260.00
फेरस सल्फेट	17. 4. 97 11. 12. 98	134	5000 ग्रा. 2500 ग्रा.	445.00

...38..

 293

डेक्सट्रोज	18.4.95	145	1000 ग्राम	450.00
	8.4.96		2000 ग्रा.	
	17.4.97		1500 ग्रा.	
	11.12.98		500 ग्रा.	
बेरियम नाइट्रेट	11.12.98	46	1000 ग्रा.	150.00
बेनेडिक्ट सोल्यूशन	4.7.2002	50	1000 एमएल	105.00
एनोनथोलीन I-10	17.4.97	54	25 ग्रा.	1449.00
	11.12.98		10 ग्रा.	
पोटाशियम आयोडाइड	11.12.98	55	250 ग्रा.	657.00
बेन्जोईन	11.12.98	58	10 लीटर	1024.00
	17.4.97	59	10 ली.	1024.00
बेन्जोयिक एसिड	17.4.97	60	1000 ग्रा.	378.00
	11.12.98		1000ग्रा.	
बेन्जोफिनोन	7.4.02	64	1000 एमएल	432.00
कैल्शियम कार्बोनेट	11.12.98	76	500ग्राम	296.00
	17.4.97		500 ग्रा.	
कैल्शियम क्लोराईड	11.12.98	77	3000ग्रा.	296.00
कैल्शियम नाइट्रेट	17.4.97	78	500ग्रा	171.00
कोबाल्ट क्लोराईड	17.4.97	84	500ग्रा.	2474.00
	11.12.98		500ग्रा.	
कोबाल्ट नाइट्रेट	18.4.96	85	1000ग्रा.	5100.00
	17.4.97		500ग्रा.	
	11.12.98	85	500ग्रा.	
कॉपर कार्बोनेट	17.4.97	86	2000ग्रा.	
	11.12.98		2000ग्रा.	2340.00
	4.7.02		1000 ग्रा.	
				64897.00

इसके अतिरिक्त अन्य प्रविष्टियों व अन्य विभागों के स्टॉक रजिस्टरों की जाँच अपने स्तर पर की जाए व अनुपालना से इस विभाग को सूचित किया जाए।

विज्ञान निधि की रोकड़ बही की जाँच करने पर पाया गया कि विज्ञान के विभिन्न विषयों यथा केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलाजी, जूलोजी इत्यादि की प्राप्ति व भुगतान इत्यादि की प्रविष्टियां विज्ञान निधि में ही मिश्रित रूप से की गई है जबकि निर्धन विद्यार्थियों

294

आर्डीनैन्स 1973 के क्लाज 42.1(ए) को ध्यान में रखते हुए इन विषयों के निधि के लेखे पृथक-2 रखे जाने अपेक्षित थे। पाई गई त्रुटि बारे स्थिति स्पष्ट करते हुए सम्बन्धित पृथक-2 लेखे तैयार किए जाएं व अनुपालना से इस विभाग को सूचित किया जाए।

29. मु0 50791.00 रु. के सामान का बिना औपचारिकताएं पूर्ण किए ही सीधे एक ही फर्म से अनियमित क्रय :-

वाउचर सं. 13/98 दिनांक 9.12.98 राशि 8998.00 रु. :

उपरोक्त वाउचर द्वारा मै0 ज्योति ट्रेडिंग कम्पनी सोलन को उनके बिल सं. 7942 दिनांक 10.12.98 द्वारा सप्लाई किए गए कैमिस्ट्री लैब के सामान हेतु 8998.00 रु. का भुगतान किया गया। किए गए भुगतान की जांच करने पर निम्न वर्णित टिप्पणियां की जाती है जिनका उत्तर अपेक्षित है :-

खरीदे गए सामान के व्यय की जांच करने पर पाया गया कि सामान की खरीद उक्त फर्म से कन्ट्रोलर आफ स्टोर के दर संविदा संख्या 4-इण्ड/एस.पी.-3(यू.ओ.403)-57/98 141 दिनांक 23.11.98 के अन्तर्गत अनुबन्धित दरों के द्वारा की गई दर्शाई गई। दर संविदा की जांच करने पर पाया गया कि इसके अन्तर्गत लेबोरेटरी ग्लासवेयर मोल्डिड/फैब्रिकेटिड बोरोसिलीकेट लेबोरेटरी ग्लास वेयर की खरीद हेतु 11 फर्मों को लिस्ट/सूचीबद्ध किया गया था जिनमें से दो फर्में सोलन स्थित थी। इन्डैंटिंग विभाग हेतु यह कहा गया था कि खरीद करने से पूर्व इन फर्मों में से दरें आमन्त्रित की जाए व न्यूनतम पाई गई दरों वाली फर्म से ही खरीद की जाए। ओरीजनल बोरोसिल की दरें फैब्रिकेटिड ग्लास से कम पाए जाने पर बोरोसिल का ओरिजनल सामान मै0 बोरोसिल ग्लासवर्क्स नई दिल्ली (जिसने मै0 जैन साईंटिफिक एजैंसी, परवाणू को प्राधिकृत किया था) से खरीदने हेतु कहा गया था। उक्त निर्देशों से स्पष्ट है कि खरीदे गए सामान हेतु विभिन्न फर्मों से दरें आमन्त्रित की जानी अपेक्षित थी तथा ओरीजनल बोरोसिल की दरों को ध्यान में रखते हुए न्यूनतम दरों वाली ~~दरों/फर्म/सप्लायर/से~~ फर्म से ही क्रय किया जाना अपेक्षित था परन्तु उक्त आदेशों की अवहेलना व अनुपालना न करते हुए सीधे एक ही फर्म से उनकी दरों पर क्रय कर

 (29)

लिया गया जिसके परिणामस्वरूप बाजार प्रतियोगिता के लाभ से वंचित होना पड़ा तथा छात्र निधि को हुए नुकसान की सम्भावना से भी इन्कार नहीं किया जा सकता। अतः मु0 4998.00 रु. का क्रय अनियमित रूप से एक ही फर्म से सीधे बिना दरें आमन्त्रित किए ही खरीदे जाने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए।

(2) इसके अतिरिक्त उक्त संस्था से निम्न विवरणानुसार मु0 41793.00 रु. का सामान भी उपरोक्त वर्णित त्रुटि को दोहराते हुए बिना आवश्यक औपचारिकताएं पूर्ण किए ही खरीदा गया था। अतः कुल 50791.00 रु. के अनियमित रूप से किए गए क्रय से सम्बन्धित प्रकरण आवश्यक उचित कार्यवाही हेतु उच्चाधिकारियों के ध्यानार्थ लाया जाताहै।

वाउचर सं.	दिनांक	फर्म का नाम व बिल सं. व दिनांक	ग्लासवेयर के खरीदे गए सामान का मूल्य.
8/99	20.10.99	मै0 ज्योती ट्रेडिंग कं. सोलन बिल सं. 8010 दि. 24.9.99	16609.00
10/2000	30.11.2000	-"- बिल सं. 8188, 10.10.2000	17833.00
1/2001	26.11.01	-"- बिल सं. 8384 दिनांक 4.10.01	7351.00
			41793.00

30. **वाउचर सं. 23 दिनांक 11.10.01 राशि 5061.00 रु. :-**

उपरोक्त वाउचर द्वारा मै0 विनीत गैस, शिमला को 38 नं. टेप ब्रास व 6 नं. सिलिण्डर की खरीद व इसकी सर्विस व रिफिलिंग चार्जिज हेतु 5061.00 रु. का भुगतान किया गया। उक्त सामान का क्रय हेतु शिमला स्थित तीन गैस एजेंसियों से दरें आमन्त्रित करके न्यूनतम पाई गई फर्म से क्रय किया गया। परन्तु दरें आमन्त्रित करते समय स्थानीय फर्मों/ गैस एजेंसियों से दरें आमन्त्रित नहीं की गई। जबकि स्थानीय फर्मों से भी दरें आमन्त्रित की जानी छात्र निधि के हित में थी। स्थानीय फर्मों को नजर अन्दाज करके शिमला स्थित फर्मों से ही दरें आमन्त्रित करने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए व भविष्य में बाहर की फर्मों के साथ साथ स्थानीय फर्मों से भी दरें आमन्त्रित की जानी सुनिश्चित की जाए।

31. (क) विज्ञान निधि से समय समय पर किए गए व्यय की जाँच करने पर पाया गया कि निम्न वर्णित व्यय उक्त निधि पर वैध प्रभार नहीं था। विज्ञान निधि से अनियमित रूप से किए गए व्यय बारे स्थिति स्पष्ट की जाए व वसूली उचित स्त्रोत से करके राशि विज्ञान निधि में जमा करवाई जाए। भविष्य में व्यय उचित स्त्रोत/निधि से किया जाना भी सुनिश्चित किया जाए।

वाउचर सं.	विवरण	क्रय सामान	मूल्य	टिप्पणी
11/98	मै0 जनारधन दास विनोद कुमार गोयल, सोलन बिल सं. 994 दि. 10.4.98	12 नं. सैल	96.00	कालेज एथैलैटिक मीट में प्रयोग विज्ञान निधि से उचित प्रभार नहीं.
11/97	मै0 विकटरी फिलिंग स्टेशन सोलन, बिल सं. 22078 दि. 4.8.97	5 लीटर पैट्रोल	104.65	एन.वाई.एस. परमार जयंती में जनरेटर सैट के प्रयोग हेतु क्रय
		योग:	200.65 रु०	

(ख) स्टाक रजिस्टरों का रख रखाव सही प्रकार से नियमानुसार नहीं किया जा रहा था। रजिस्टर के कालम के अनुसार प्रविष्टियों को नहीं करके स्वेच्छा से अपने ही तरीके से लिखा जा रहा था। "प्राप्ति" को "जारी" के कालम व जारी सामान को प्राप्ति के कालम में लिखा गया था जिसके अनेक उदाहरण रजिस्टरों में पाए गए हैं। पाई गई त्रुटि बारे स्थिति स्पष्ट की जाए।

(ग) विज्ञान निधि से महाविद्यालय में कार्यरत कर्मचारियों को अग्रिम राशि प्रदान की जा रही थी जिनकी जाँच करने पर पाया गया कि जिस कर्मचारी को रोकड़ वही में अग्रिम भुगतान किया जा रहा था उससे सम्बन्धित रसीद अभिलेख में नहीं पाई गई। बिना रसीद प्राप्त किए ही समस्त किए गए अग्रिम भुगतानों का औचित्य स्पष्ट करते हुए आवश्यक रसीदें प्राप्त की जानी सुनिश्चित की जाए। भविष्य में इस प्रकार की त्रुटि से परिहार किया जाए।

..42..

(घ) कर्मचारियों को समय समय पर दिए गए अग्रिमों से सम्बन्धित समायोजन को रोकड़ वही में उचित प्रकार से लेखाबद्ध नहीं किया जा रहा था समायोजन किस अग्रिम का किया जा रहा है व वास्तविक व्यय को क्या सन्दर्भ है का कोई भी उल्लेख रोकड़ वही में दर्ज नहीं किया जा रहा है। पाई गई त्रुटि बारे स्थिति स्पष्ट की जाए। भविष्य में समस्त प्रदान अग्रिमों को समायोजित करते समय प्रतिपक्ष में समस्त अग्रिम की राशि को प्राप्त व वास्तविक व्यय को व्यय पक्ष में पूर्ण विवरण दर्शाकर समायोजित किया जाए व इसी आधार पर आवश्यक प्रविष्टि अग्रिम रजिस्टर में भी वाउचर को सन्दर्भित किया जाना सुनिश्चित करें।

(ङ) अग्रिम रजिस्टर की जाँच करने पर पाया गया कि प्रदान किए गए अनेक/अधिकतर अग्रिमों को केवल "सैटल" शब्द लिखकर ही समायोजित मान लिया गया। यह अग्रिम किस वाउचर/दिनांक के द्वारा समायोजित किया गया था किस प्रकार/आधार पर समायोजित किया गया का कोई विवरण अग्रिम रजिस्टर में नहीं पाया गया। इस प्रकार से प्रदान किए गए अग्रिमों को समायोजित किया जाना अपने आप में ही एक गम्भीर अनियमितता है तथा अग्रिमों को बिना सन्दर्भित किए ही समायोजित कर दिए जाने के परिणामस्वरूप इनके दुर्विनियोजन की सम्भावना से भी इन्कार नहीं किया जा सकता। अतः मामले की गम्भीरता को ध्यान में रखते हुए समस्त इस प्रकार के को प्राचार्य द्वारा ~~पूर्ण रूप से~~ व्यक्तिगत ध्यान देते हुए पूर्ण सन्दर्भित किया जाए तथा अनुपालना से इस विभाग को सूचित किया जाए।

32. लाइब्रेरी सक्योरिटी निधि :-

मु0 4350.00 रु. के भुगतान की रसीदें न पाया जाना :-

निम्न वर्णित छात्रों को दिए गए विवरणानुसार मु0 4350.00 रु. का भुगतान किया गया परन्तु इन छात्रों-छात्राओं को बिना रसीद प्राप्त किए ही भुगतान कर दिया गया। छात्र छात्राओं से आवेदन पत्र पर ही भुगतान पास आदेश लगाकर इसी पर ही रसीद भी प्राप्त की जा रही थी परन्तु वर्णित प्रकरणों में कोई रसीद न तो आवेदन पत्र /पास आदेश के साथ पाई गई तथा न ही यह पृथक से प्राप्त की गई/ प्रतीत होती है। बिना आवश्यक रसीद प्राप्त किए ही किए गए भुगतानों

को संदिग्ध बनाता है तथा यह एक गम्भीर अनियमितता को भी दर्शाता है। पाई गई त्रुटि बारे स्थिति स्पष्ट करते हुए आवश्यक रसीदें अविलम्ब प्राप्त करके इस विभाग को सूचित किया जाए अन्यथा वसूली सम्बन्धित कर्मचारी/अधिकारी से करके राशि जमा करवाई जाए।

छात्र-छात्रा का नाम	रोल नं.	वाउचर सं. व दिनांक.	राशि
कान्ता देवी बी.ए.-3	4880	135/15.7.98.	50.00
प्रगति कौशल	2704	208 16.7.98	50.00
गरिमा सोनी	4794	262 25.7.98	50.00
सुलेखा देवी	7165	277 14.7.2000	100.00
विजय शर्मा	7889	302 19.7.2000	100.00
अर्चना कुमारी	7519	323 20.7.2000	100.00
सतीष कुमार	1167	333/01	100.00
चन्द्रदीप	1951	384/01	100.00
राजेन्द्र कुमार	3107	391/01	100.00
कंचन श्री	2015	432/01	100.00
राजीव शर्मा	6331	441/01	100.00
जयपाल	602	472/01	100.00
जितेन्द्र सिंह	1809	554/01	100.00
ललित कुमार	1785	555/01	100.00
नव ज्योति नारंग	4320	236/02	100.00
जगवीर सिंह	8811	330/02	100.00
प्रेम चन्द शर्मा	8779	352/02	100.00
संतोष शर्मा	9034	357/02	100.00
कल्पना कुमारी	8572	362/02	100.00
शिवानी कुह	8567	368/02	100.00
तजीन	8884	411/02	100.00
प्रवीण कुमार	9620	422/02	100.00
सचिन कुमार गुप्ता	9108	424/02	100.00
राजेन्द्र कुमार	4985	282 25.7.98	50.00
ओम प्रकाश	935	238/99	50.00
स्नेह लता	2808	346/99	50.00
नेहा सिंगला	1231	428 22.12.99	50.00
सीमा देवी	7158	50, 5.7.2000	100.00
दिनेश शर्मा	7304	56,-5.7.2000	100.00
मनवीन्द्र तनवर	7866	103, 6.7.2000	100.00
किरतीका	7757	125(बी) 7.7.2000	100.00

पवन शर्मा	7320	202 16.7.2000	100.00
अशोक कुमार	7671	212 11.7.2000	100.00
अनुप गुप्ता	7815	220 11.7.2000	100.00
शैलजा अम्बी	7745	244 12.7.2000	100.00
इन्दु स्नेक	7189	251 14.7.2000	100.00
चमन लाल	7840	256 14.7.2000	100.00
निशा देवी	7148	275 14.7.2000	100.00
नरेश कुमार	8761	449/02	100.00
कपिल कौशिक	5473	486/02	100.00
सतीश कुमार	7760	480/02	100.00
सुशांत मोहन	6873	495/02	100.00
पदमनाभन	4885	53/03	100.00
सालिना कुमारी	67/2001	549/03	100.00
जितेन्द्र सिंह	1005	550/03	100.00
राजन सागर	4168	561/03	100.00
संजीव कुमार	4261	568/03	100.00
		योग	4350.00

53. मु0 7700.00 रु. के भुगतान की रसीदें किसी अन्य व्यक्तियों की पाई जाना :-

लाईब्रेरी प्रतिभूति निधि से समय समय पर किए गए भुगतान की जांच करने पर पाया गया कि आवेदक छात्रों के स्थान पर अन्य व्यक्तियों को भुगतान कर दिया गया तथा प्राप्त रसीदें भी अपूर्ण ही थे। उनमें यह वर्णित नहीं था कि लिखी गई रसीदें कितनी राशि की है। अपूर्ण रसीदें प्राप्त करना व निम्न वर्णित प्रकरणों में भुगतान सम्बन्धित छात्र छात्रा को न करके किसी अन्य व्यक्ति को करना एक अनियमितता है तथा इससे किसी भी प्रकार के दुर्विनियोजन की सम्भावना से भी इन्कार नहीं किया जा सकता। पाई गई उपरोक्त त्रुटियों बारे स्थिति स्पष्ट की जाए व आवेदकों से सही रसीदें प्राप्त की जाए अन्यथा मु0 7700.00 रु. की वसूली सम्बन्धित कर्मचारियों/अधिकारियों से करके जमा करवाईजाए।

नाम व रोल नं.	वाउचर सं. व दिनांक	भुगतान राशि रु० में
पंकज गोयल बीकाम-3	123/98, 14.7.98	50.00
त्रिपता बीए-3	196/98 15.7.98	50.00
लता देवी बीकाम-	199/98 16.7.98	50.00

शांता कुमार	200/98 16.7.98	50.00
सतीश कुमार	202 16.7.98	50.00
बलजीत कौर बीए-3	210 16.7.98	50.00
शैली सैहन, रोल नं. 2935	224 18.7.98	50.00
हेमन्त कुमार	229 18.7.98	50.00
अरूण कुमार नेगी	233, 18.7.98	50.00
अनिल कपूर	254, 18.7.98	50.00
नीरज सूरी -	244, 25.7.98	50.00
सुनिता देवी, रोल नं 4666	265, 25.7.98	50.00
कमल कुमार, रो. नं. 3018	278, 25.7.98	50.00
शीतल शर्मा रोल नं. 1010	303 25.7.98	50.00
हेम लता, रो. नं. 4701	317-29.7.98	50.00
कान्ता देवी रोल नं. 4653	319, 29.7.98	50.00
मधु शर्मा, रोल नं. 4602	321 29.7.98	50.00
कमल गुरुंग, रो. नं. 4512	212/99	50.00
शेर सिंह रोल नं. 3123	219/99	50.00
कविता शर्मा 4357	271/99	50.00
कमल किशोर रोल नं. 208	272/99	50.00
चन्द्रकला 4393	278/99	50.00
सच्चिदानन्द शर्मा 151/97	297/99	50.00
कपिलदेव 4555	302/99	50.00
सरिका रानी 4306	310/99	50.00
प्रशान्त 4520	316/99	50.00
भूपराम रोल नं. 4625	317/99	50.00
भीम सिंह 4526	320/99	50.00
राकेश कुमार 959	328/99	50.00
कुलदीप कुमार 4586	351/99	50.00
नरेन्द्र कुमार 4609	355/31.7.99	50.00
विरेन्द्र सिंह 1761	443/01	100.00
सुभाष चन्द्र 1180	444/01	100.00
अजय रघुवंशी 3329	451/01	100.00
गौरव धावला 2200	454/01	100.00
अश्वनी कुमार 1747	465/01	100.00
राधा शर्मा 903	460/01	100.00

301

वेद प्रकाश 4134	553/01	100.00
रेखा कुमारी 6272	558/01	100.00
ललित ~~मन~~ मोहन 2742	559/01	100.00
मोहन लाल 735	560/01	100.00
कृष्णा 9306	198/02	100.00
सुनील शांडिल 9612	197/02	100.00
योगिता 8545	206/02	100.00
नीना चौहान 8592	212/02	100.00
~~सुखदेव~~	~~8894~~	~~221/02~~
सुखदेव 8894	221/02	100.00
जयप्रकाश 8726	227/02	100.00
अरुण बाला 9045	248/02	100.00
संजय कुमार 9619	305/02	100.00
रीना कुमारी 8553	321/02	100.00
कृष्णा 119/2000	398/02	100.00
मनोज कुमार 9113	412/02	100.00
खेम चन्द 8779	416/02	100.00
रतन बहादुर 8831	419/02	100.00
मधुलिका कुमारी 7728	283 17.7.2000	100.00
रेनुका देवी 7136	290 16.7.2000	100.00
जितेन्द्र कुमार 7320	307 19.7.2000	50.00
सुभाष चन्द 7332	310 14.7.2000	100.00
रश्मी भारद्वाज 7108	311 20.7.2000	100.00
दीपक श्रीवास्तव 7334	342 29.7.2000	100.00
देवराज राणा 7413	344 29.7.2000	100.00
विक्रान्त वर्मा	353 3.7.01	100.00
रंजना	356 3.7.2001	100.00
वन्दना	359 5.7.01	100.00
मोनिका 1509	396/01	100.00
स्वाती 3668	406/01	100.00
दिनेश कुमार 3741	407/01	100.00
दिलीप कुमार 1810	412/01	100.00
हीरा नन्द 5/99	431/01	100.00
पूनम गर्ग 16/99	433/01	100.00
सीमा ठाकुर 1699	434/02	100.00
अंजना रोल नं. 4427	357 31.7.99	50.00
मनोज कुमार 7570	14 5.7.2000	100.00

सिद्दार्थ अवस्थी 7317	21, 5.7.2000	100.00
संजीव कुमार 7378	22, 5.7.2000	100.00
पूनम वर्मा 5227	27, 5.7.2000	100.00
रीता ठाकुर 7607	42/5.7.2000	100.00
सुषमा 7607	43/5.7.2000	100.00
अमीर सिंह 7369	58/5.7.2000	100.00
नेहर लाल 7402	60, 5.7.2000	100.00
किरण बाला 7123	116 7.7.2000	100.00
सोम नाथ 7657	121, 7.7.2000	100.00
योगिता चौहान 7505	138, 7.7.2000	100.00
पूनम कुमारी 7167	211, 11.7.2000	100.00
रीता कुमारी 7169	248, 14.7.2000	100.00
रजनी बाला 7770	254, 14.7.2000	100.00
रेखा 4782	445/02	100.00
पूनम 1693	559/02	100.00
राजेश कुमार 5455	561/02	100.00
प्रीति भारद्वाज 5035	215/97	50.00
मंजू कटोच 5026	257/97	50.00
रीनुदेवी 1099	258/97	50.00
शीतल कुमारी 5088	556/03	100.00
सम्मति राना 3890	557/03	100.00
शिवानी गोयल 3041	559/03	100.00
	योग:	7700.00

34. **मु0 3000.00 रु. के भुगतान बिना वाउचर पारित किए दर्शाना :-**

(क) लाइब्रेरी सक्योरिटी से समय समय पर किए गए भुगतानों की जांच करने पर पाया गया कि कुछ प्रकरणों में भुगतान बिना भुगतान पास किए ही कर दिया गया था। चयनित मासों में पाए गए इस प्रकार के कुछ उदाहरण निम्न वर्णित है। भुगतानों को सक्षम प्राधिकारी द्वारा बिना पारित किए ही दर्शाया जाने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए व सक्षम प्राधिकारी द्वारा इन्हे सत्यापित करवाते हुए अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए। भविष्य में इस प्रकार की त्रुटि को न दोहराया जाए।

आवेदक का नाम	रोल नं.	भुगतान वाऊचर	भुगतानराशि
अवनी कुमार	2818	256/7.98	50.00
विजय कुमार	2808	257/7.98	50.00

 507

रमा परिहार	4844	259/7/98	50.00
गरिमा सोनी	4794	262/7/98	50.00
निरज सूरी	4820	264/7/98	50.00
विक्रम वर्मा	904	266/7/98	50.00
अमित सिंह	314	267/7/98	50.00
प्रतिमा शर्मा	4756	269/7/98	50.00
प्रतिभा शर्मा	4749	270/7/98	50.00
हरवीर कौर	4746	271/7/98	50.00
योगिता	2938	272 7/98	50.00
सोनिया	4821	273 7/98	50.00
रोहित कुमार	5120	275 7/98	50.00
हरीश कुमार	3022	276 7/98	50.00
बलजीन्द्र सिंह	3012	277 7/98	50.00
कमल कुमार	3018	278 7/98	50.00
गौरव जोशी	4934	306 7/98	50.00
मनमोहन	2425	313 7/98	50.00
कुमार सिंह	4334	314 7/98	50.00
बबीता कालिया	4711	315 7/98	50.00
राजीव कुमार	1790	316 7/98	50.00
हेम लता	4172	317 7/98	50.00
नरेन्द्र सिंह	4584	318 7/98	50.00
कान्ता देवी	4853	319 7/98	50.00
शकता	1210	320 7/98	50.00
मधु शर्मा	4802	321 7/98	50.00
विक्रान्त वर्मा	2159	353/01	100.00
अंशु सूद	2196	354/01	100.00
		योग	3000.00

(ख) मु0 550.00 रु. का अधिक भुगतान :-

लाइब्रेरी प्रतिभूति से किए गए निम्न भुगतान उन्हे देय राशि से अधिक का भुगतान रोकड़ वही में दर्शाया गया है। देय राशि से अधिक भुगतान रोकड़ वही में दर्शाकर मु0 550.00 रु. की राशि का दुर्विनियोजन किया गया है जिस बारे स्थिति स्पष्ट करते हुए मु0 550.00 रु. की वसूली सम्बन्धित कर्मचारी से करके राशि जमा करवाई जाए।

नाम	रोल नं.	रजि. पृ.सं. व पृष्ठ सं.	वाउचर सं. व दिनांक	भुगतानराशि	देयराशि	रोकड़ वही में अधिक दर्शाई भुगतानराशि
पूजा भारती	7167	17/6	223/ 11.7.2000	100.00	50.00	50.00

अशोक कुमार	7671	28/721	224/ 11.7.2000	100.00	50.00	50/=
अतुल गुप्ता	41/98	44/478	242 12.7.2000	100/=	50/=	50/=
मनिकाबाली	10/98	44/479	281 14.7.2000	100/=	50/=	50/=
सपनाकला	19/98	44/480	282 14.7.2000	100	50	50
राजीव कुमार	4507	64/645	286 18.7.2000	100	50	50
अनिता तन्वर	7751	48/11	1/2000	100	50	50
रविन्द्र कुमार	7444	28/414	8/2000	100	50	50
चन्द्र कान्ता	7103	41/451	31/2000	100	50	50
विकास	7440	37/134	19/2000	100	50	50
संतोष	7102	30/2000	30/2000	100	50	50
					योग	550.00

पैरा-35 :-

दो वर्ष पुरानी लाईब्रेरी सिक्योरिटी को नियमानुसार मिश्रित निधि में हस्तान्तरण न करना :-

लाईब्रेरी सिक्योरिटी रजिस्टरों की जाँच करने पर पाया गया कि अनेक छात्रों द्वारा महाविद्यालय छोड़ने के दो वर्षों से भी अधिक समय होने पर भी प्रतिभूति राशि वापिस प्राप्त नहीं की गई। यह राशियां अनेक वर्षों से निपटारे हेतु शेष पड़ी हुई हैं। नियमानुसार छात्र छात्राओं को महाविद्यालय छोड़े दो वर्षों से अधिक समय होने पर प्रतिभूति राशि वापिस प्राप्त न करने पर इस प्रकार की राशियों का हस्तान्तरण मिश्रित निधि में किया जाना अपेक्षित था परन्तु महाविद्यालय द्वारा कोई भी कार्यवाही इस दिशा में नहीं की गई तथा लाखों रुपये की राशि लाईब्रेरी सिक्योरिटी में निपटारे हेतु शेष पड़ी हुई है। उपरोक्त वर्णित त्रुटि बारे स्थिति स्पष्ट की जाए व नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करके अनुपालना से इस विभाग को सूचित किया जाए। मामला आवश्यक उचित कार्यवाही हेतु उच्चाधिकारियों के ध्यानार्थ भी लाया जाता है।

35. वाउचर 563/02 दिनांक 30.9.02 राशि 877.00 रु. :-

उपरोक्त वाउचर द्वारा श्री ज्ञान प्रकाश लाईब्रेरियन को मु0 877.00 रु. का भुगतान किया गया। रोकड़ बही में यह वर्णित नहीं था कि उन्हें यह भुगतान किस उद्देश्य से किया गया। वाउचर की जांच करने पर पाया गया कि निम्न विवरणानुसार मु0 877.00 रु. की राशि लाईब्रेरी सिक्योरिटी निधि से व 108.00 रु. की राशि संचयिका निधि से छात्रों से कटौती करने के उपरान्त उक्त निधि से सरकारी खजाना में जमा करवाने हेतु निकाली जानी अपेक्षित थी परन्तु इन निधियों से भुगतान तो कर दिया गया परन्तु इन खातों से [redacted] प्रतिभूति व संचयिका खातों की [redacted] की गई आवश्यक कटौती का कोई सन्दर्भ/उल्लेख नहीं किया गया तथा न ही इनके प्रतिभूति लेखा/संचयिका लेखा से की गई आवश्यक कटौती की आवश्यक पुष्टि करवाई गई। अनियमित रूप से मु0 985.00 रु. के छात्र निधियों से किए गए अनियमित भुगतान बारे स्थिति तथ्यों सहित स्पष्ट की जाए अन्यथा वसूली सम्बन्धित कर्मचारी से करके राशि जमा करवाई जाए।

क्रम सं.	छात्र/छात्रा का नाम व कक्षा	रोल नं.	छात्रों से वसूली योग्य राशि
1.	मुनीश बी.एस.सी. I	6626	120.00
2.	ज्ञान चन्द -"-	6640	90.00
3.	दिनेश कुमार -"-	6858	88.00
4.	लव ठाकुर -"-	6063	94.00
5.	रूप राम बी.ए.-I	5341	140.00
6.	अंजना ठाकुर एम.ए. I	68	148.00
7.	रेनुबाला एम.ए.-I	51	60.00
8.	श्याम लाल -"-	9/99	90.00
9.	नरेन्द्र बी.ए. I	480	80.00
10.	दीपक -"-	5042	75.00
		योग=	985.00

 166

37. **(क) फर्नीचर रिपेयर एण्ड रिप्लेसमैंट निधि :-**

वाउचर सं. शून्य दिनांक 30.9.02 राशि 2860.00 :-

उपरोक्त वाउचर द्वारा मै0 हिमाचल फर्नीचर (प्रा0) लिमिटिड को मु0 2860.00 रु. का भुगतान किया गया। किया गया भुगतान किस प्रयोजन हेतु किया गया का कोई उल्लेख रोकड़ वही में वर्णित नहीं पाया गया। इसके अतिरिक्त किए गए भुगतान से सम्बन्धित वाउचर/अभिलेख भी अंकेक्षण में नहीं दिखाया गया। पाई गई त्रुटि बारे स्थिति तथ्यों सहित स्पष्ट की जाए व आवश्यक वाउचर/अभिलेख के अन्तर्गत सन्दर्भ में इस विभाग को सूचित किया जाए अन्यथा मु0 2860.00 रु. के अनियमित भुगतान की वसूली उचित स्त्रोत से करके राशि जमा करवाई जाए।

(ख) सम्बन्धित निधि का लेखा/खाता स्टेट बैंक आफ पटियाला में खाता सं. 50545 के अन्तर्गत रखा गया था। उक्त खाता की दिनांक 21.2.02 से पूर्व की पास बुक अंकेक्षण में जांच हेतु प्रस्तुत नहीं की गई। सम्बन्धित पास बुक जांच हेतु आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत की जाए।

38. **सांस्कृतिक गतिविधि निधि :-**

(क) मु0 1889.00 रु. के अर्जित ब्याज को सात वर्ष की लम्बी अवधि तक रोकड़ वही में लेखांकित न करना :-

उपरोक्त छात्र निधि के बचत खाता सं. 50541 स्टेट बैंक आफ पटियाला की जांच करने पर पाया गया कि बैंक द्वारा दिनांक 15.7.1997 को मु0 1889.00 रु. का ब्याज प्रदान किया गया परन्तु छात्र निधि की रोकड़ वही में दिनांक 31.3.04 तक कोई भी प्रविष्टि अर्जित ब्याज के सम्बन्ध में नहीं पाई गई। इसके अतिरिक्त यह भी पाया गया कि रोकड़ वही की समय समय पर बकाया राशि का बैंक से मिलान बैंक पास बुक के साथ नहीं किया जा रहा था, तथा रोकड़ वही में प्रत्येक माह में वर्णित नहीं किया जा रहा था तथा विवरण रोकड़ वही में दिनांक 31.3.04 को बैंक द्वारा दिए गए प्रमाण पत्र के आधार पर रोकड़ वही 84009.06 रु0 शेष थी जबकि मु0 38636.06 रु0 की शेष दर्शाए गए हैं। अन्तर का मिलान न करने तथा कोई भी टिप्पणी रोकड़ वही में न करना तथा सात वर्ष पूर्व अर्जित ब्याज को रोकड़ वही में दर्ज न करना अपने आप में अनियमितता

है तथा इस राशि का समायोजन प्राप्ति आय राशि को कम जमा करवाकर दुर्विनियोजन कर लिए जाने की सम्भावना से भी इन्कार नहीं किया जा सकता क्योंकि रोकड़ वही में हस्तगत राशि/बैंक में जमा राशि का कोई भी विवरण नहीं किया गया है। अंकेक्षण अवधि की रोकड़ वही का मिलान करके आवश्यक टिप्पणियाँ रोकड़ वही में दर्ज करके अनुपालना से इस विभाग को सूचित किया जाए।

§क§

वाउचर सं.	दिनांक	राशि रु.
4/03	31.12.03	1000.00
5/03	31.12.03	2000.00

उपरोक्त वाउचरों द्वारा श्रीमति उषा रानी व श्री रोशन शर्मा, प्रवक्ता को क्रमशः मु0 1000.00 व 2000.00 रुपये का भुगतान अग्रिम के रूप में भुगतान किया गया। किये गये अग्रिम भुगतान पर निम्न टिप्पणियाँ अपेक्षित हैं :-

§1§ किये गये भुगतान के सन्दर्भ में सम्बन्धित प्रवक्ताओं की रसीदें अभिलेख में नहीं पाई गई। बिना रसीदों के जारी गये अग्रिम भुगतान का औचित्य स्पष्ट करते हुए आवश्यक रसीदों को प्राप्त करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण में दिखाई जाये।

§2§ श्रीमति उषा रानी, प्रवक्ता द्वारा लिए गए अग्रिम का समायोजन लेखा प्रस्तुत करने पर इसे वाउचर संख्या 4/03 के अन्तर्गत मु0 313.00 रुपये का व्यय पारित किया गया तथा शेष राशि रसीद संख्या 102571 दिनांक 10.2.2004 के द्वारा प्राप्त की गई। परन्तु रोकड़ वही में किये गये समायोजन के सन्दर्भ में कोई भी प्रविष्टि नहीं पाई गई। बिना रोकड़ वही में प्रविष्टी किये ही समायोजन कर दिये जाने बारे स्थिति स्पष्ट की जाये।

§3§ मु0 313.00 रुपये के व्यय के विरुद्ध 1000.00 रुपये की राशि प्रदान करने का औचित्य स्पष्ट किया जाये।

39. छात्र सहायता निधि :-

रु0 2000.00 रुपये की राशि का अनियमित व्यय :-

वाउचर संख्या शून्य दिनांक 26.02.2001 के द्वारा होस्टल

में दूरभाष लगाने हेतु डिपार्टमैंट आफ टैलीकोमुनिकेशन को उनकी रसीद सं. 1340/91 दिनांक 27.2.01 के सन्दर्भ में प्रतिभूति राशि के रूप में 2000/- रु. का भुगतान किया गया। किया गया भुगतान उक्त निधि से किस नियम के अन्तर्गत वैध प्रभार था का उल्लेख नहीं किया गया जबकि नियमानुसार उक्त निधि पर वैध प्रभार नहीं था। कुल 2000.00 रु. की वसूली उचित स्रोत से करके राशि जमा करवाई जाए।

इसके अतिरिक्त उपरोक्त वर्णित व्यय प्रतिभूति राशि से सम्बन्धित होने के कारण यह उक्त विभाग से प्राप्ति योग्य है परन्तु इस सम्बन्ध में किसी भी रजिस्टर/प्रतिभूति रजिस्टर में आवश्यक प्रविष्टि नहीं की गई। की गई त्रुटि का सुधार करके, की गई अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

40. पत्रिका निधि :-

वाउचर सं. 1/2002 दिनांक 19.7.02 राशि 79013.00 रु. :-

उपरोक्त वाउचर द्वारा मै0 सहगल प्रिंटर्ज एण्ड पेपर्स सोलन के बिल सं. 1264 दिनांक 5.7.02 के अन्तर्गत 2150 नं. कालेज पत्रिका की छपाई हेतु 79013.00 रु. का भुगतान किया गया। किए गए भुगतान पर निम्न टिप्पणियाँ अपेक्षित है :-

(1) छपवाई गई कालेज पत्रिका स्टाक रजिस्टर के पृ0 118 पर 2150 प्रतियाँ प्राप्त की गई दर्शाई गई। समस्त प्राप्त प्रतियों को एक मुश्त यह टिप्पणी दर्ज करके जारी कर दी गई कि यह छात्रों, कालेज स्टाफ, विभिन्न कालेजों व निदेशक, शिक्षा विभाग को भेजी गई। परन्तु छात्रों को जारी करने से सम्बन्धित छात्रों का विवरण उनकी प्राप्ति/रसीद इत्यादि का लेखा कालेज स्टाफ में किन किन व्यक्तियों को दी गई का लेखा पूर्ण विवरण सहित तैयार ~~न/नर/~~ न करके एक मुश्त टिप्पणी दर्ज करके, जिसका कोई आधार नहीं था, अनियमित रूप से उपयोग/प्रयोग कर ली गई दर्शाई गई। बिना स्पष्ट अभिलेख तैयार किए ही जारी की गई 2150 नं. पत्रिकाओं बारे स्थिति स्पष्ट की जाए व आबंटन लेखा तैयार करके सक्षम प्राधिकारी से सत्यापित करवाया जाए व भविष्य में इस प्रकार की अनियमितता से परिहार भी किया जाए।

 309

§2§ हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा निधि के निर्धारित दरों के अनुसार पत्रिका निधि प्रति छात्र 15.00 रु. ली जानी अपेक्षित थी जिसके विरुद्ध कालेज द्वारा वर्ष 2001-02 में प्रति छात्र 25.00 रु. प्राप्त किए गए। वर्ष से सम्बन्धित कालेज पत्रिका पर 36.75 रु. प्रत्येक की दर से व्यय किया गया। प्रति छात्र 10.00 रु. अधिक अनाधिकृत रूप से एकत्रित किए जाने बारे तथा उस पर भी 11.75 रु. प्रत्येक पत्रिका अधिक व्यय किए जाने बारे स्थिति तथ्यों सहित स्पष्ट की जाए व भविष्य में सरकार द्वारा निर्धारित दरों से ही वसूली/प्राप्ति व छपाई पर व्यय किया जाए।

41. वाउचर सं. 2102 दिनांक 23.7.02 राशि 627.00 रु. :-

उपरोक्त वाउचर द्वारा श्रीमति आशा शर्मा को टिकटों की खरीद हेतु 627.00 रु. का भुगतान अग्रिम के रूप में किया गया। किए गए भुगतान से सम्बन्धित वाउचर अभिलेख में नहीं पाए गए जिस कारण किए गए भुगतान का सत्यापन नहीं किया जा सका। इसके अतिरिक्त किया गया भुगतान अग्रिम होने के कारण इसकी प्रविष्टि अग्रिम रजिस्टर में की जानी अपेक्षित थी। परन्तु अग्रिम रजिस्टर की जांच करने पर ~~प्रत्म~~ कोई भी प्रविष्टि नहीं पाई गई। अग्रिम भुगतान के वाउचर व इसकी प्रविष्टि अग्रिम रजिस्टर में न पाया जाना अनियमितता है। जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए।आवश्यक अनुपालना करके कृत कार्यवाही समायोजन लेखा सहित से इस विभाग को सूचित किया जाए अन्यथा वसूली सम्बन्धित कर्मचारी से करके राशि जमा करवाई जाए।

42. गृह परीक्षा निधि :-

मु0 13000.00 रु. के अग्रिम को सम्बन्धित रजिस्टर में समायोजन हेतु अंकित न करना :-

गृह परीक्षा से किए गए व्यय की जांच करने पर पाया गया कि कर्मचारियों/अधिकारियों को समय समय पर विभिन्न प्रयोजनों हेतु अग्रिम भुगतान किया गया परन्तु किए गए भुगतानों को अग्रिम रजिस्टर में अंकित नहीं किया गया तथा न ही रोकड़ वही में इस अग्रिम भुगतानों के समायोजन बारे स्थिति स्पष्ट करती है। इस प्रकार के अग्रिमों का विवरण

निम्न वर्णित है। बिना अग्रिम रजिस्टर में प्रविष्टि किए ही तथा समायोजन लेखा के अभाव/सन्दर्भित किए ही मु0 13000/=रु. की राशि के दुरुपयोग /दुर्विनियोजन की सम्भावना से भी इन्कार नहीं किया जा सकता। पाई गई त्रुटि बारे तथ्यों सहित स्थिति स्पष्ट की जाए व समायोजन लेखा का विवरण दिए जाएं अन्यथा सम्बन्धित कर्मचारी/अधिकारी से आवश्यक वसूली करके अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

भुगतान वाउचर सं.	दिनांक	कर्मचारी/अधिकारी का नाम.	अग्रिम राशि रु. में
2/2002	~~2-12-97~~	श्री रामानन्द चौहान प्रवक्ता	11000.00
5/97	2.12.97	श्री एच.के. भारद्वाज प्रवक्ता	2000.00

43. वाउचर सं. 2/97 दिनांक 8.8.97 राशि 4315.00 रु. :-

उपरोक्त वाउचर द्वारा मु0 4315.00 रु. की राशि खाता सं. 657, जो कि विश्वविद्यालय निधि से सम्बन्धित है, को हस्तान्तरित करके व्यय के रुप में दर्शाई गई। जांच करने पर पाया गया कि व्यय पक्ष में ~~कोई~~ दर्शाए गए इस हस्तान्तरण के समर्थन में कोई भी अभिलेख/वाउचर नहीं दिखाया गया न ही उक्त भुगतान/हस्तान्तरण के समर्थन में रोकड़ बही में स्वतः स्पष्ट टिप्पणी ही दर्ज की गई जिस कारण उक्त दर्शाए गए भुगतान का सत्यापन नहीं किया जा सका। अनियमित रुप से बिना किसी टिप्पणी को दर्ज करके एक बैंक खाता से दूसरे बैंक खाता में राशि हस्तान्तरित करना व इसे रोकड़ बही में बकाया राशि से घटा दिया जाना अत्यन्त आपत्तिजनक है। मु0 4315.00 रु. की राशि को व्यय के रुप में दर्शाए जाने बारे स्थिति तथ्यों सहित स्पष्ट की जाए अन्यथा मु0 4315.00 रु. की राशि से बकाया राशि में आवश्यक सुधार करके अनुपालना से इस विभाग को सूचित किया जाए।

44. वाउचर सं. 3/03 दिनांक 16.12.03 राशि 11990.00 :=

उपरोक्त वाउचर द्वारा मै0 नैशनल प्रिंटिंग प्रेस सोलन के बिल सं. 7832 दिनांक 3.11.2003 के अन्तर्गत सप्लाई की गई 10000 उत्तर पुस्तिकाओं हेतु 11990.00 रु. का भुगतान किया गया। किए गए भुगतान की जांच करने पर पाया गया कि कालेज को दरें प्रेषित करते समय यह कहा गया था कि यदि बिल की प्राप्ति के 15 दिन के भीतर

भुगतान कर दिया जाएगा तो 2 प्रतिशत की छूट प्रदान की जाएगी परन्तु बिल का भुगतान उक्त शर्त को ध्यान में न रख कर विलम्ब से करने के कारण 2 प्रतिशत छूट अर्थात 320.00 रु. से वंचित होना पड़ा। परिणामस्वरूप रु0 320.00 रु. की हानि उक्त निधि को हुई है जिस बारे जिम्मेवारी निर्धारित करके हुई हानि की वसूली सम्बन्धित कर्मचारी/अधिकारी से करके जमा करवाई जाए।

45. रैडक्रास निधि का अनाधिकृत संचालन :-

महाविद्यालय के निधि लेखों की जाँच करने पर पाया गया कि महाविद्यालय द्वारा छात्रों से रैडक्रास निधि की वसूली 6.00 रु. प्रति छात्र की दर से करके निधि का संचालन किया गया है। उक्त निधि के अंकेक्षण अवधि के आय-व्यय का विवरण निम्न वर्णित है। हिमाचल प्रदेश सरकार के अन्तर्गत जारी निर्देशों में छात्रों से रैडक्रास निधि लिए जाने का कोई भी प्रावधान नहीं है। महाविद्यालय द्वारा रैडक्रास निधि का अनाधिकृत संचालन व छात्रों से राशि वसूली करना हि0प्र0 सरकार के आदेशों का उल्लंघन करना है। अनाधिकृत वसूली/निधि के संचालन से सम्बन्धित प्रकरण निदेशक शिक्षा विभाग हि0प्र0 के ध्यानार्थ आवश्यक उचित कार्यवाही हेतु लाया जाता है।

दिनांक 1.4.97 के प्रारंभिक शेष	वर्ष 1997-98 से वर्ष 2003-04 तक छात्रों से प्राप्त राशि	अंकेक्षण अवधि में ब्याज की प्राप्त राशि	अंकेक्षण अवधि में कुल भुगतान	दिनांक 31.3.04 को शेष राशि
8180	83052.00	10742.39	105.00	101869.39

46. बुक रिप्लेसमेंट निधि :-

वाउचर सं. 1/99 दिनांक 6.10.99 राशि 18394.00 रु.
वाउचर सं. 1/2002 दिनांक 6.4.02 राशि 8195 :-

उपरोक्त वाउचरों द्वारा मैसर्ज बसंल ट्रेडर्ज सोलन के बिल सं. 2652 से 2655 व 5 से 7 क्रमश: दिनांक 23.8.99 व 6.9.99 तथा बिल सं. 747 व 748 दिनांक 7.11.01 द्वारा सप्लाई की गई लाईब्रेरी हेतु किताबों के लिए 26589.00 रु. का भुगतान किया गया। किए गए भुगतानों पर निम्न वर्णित अंकेक्षण आपत्तियाँ अपेक्षित हैं :-

§1§ महाविद्यालय द्वारा की गई किताबों की खरीद हेतु संबंधित विभागों के इन्चार्ज द्वारा दी गई मांग से सम्बन्धित कोई भी पत्र अभिलेख में नहीं पाया गया तथा न ही खरीद किए जाने से पूर्व निविदाएं ही विभिन्न पुस्तक विक्रेताओं से मंगवाई गई। अभिलेख से ऐसा प्रतीत होता है कि केवल एक ही फर्म से सीधे बिना दरें आमन्त्रित किए ही कर लिया गया। ऐसा प्रतीत होता है कि इन पुस्तकों की खरीद किए जाने से पूर्व कोई भी औपचारिकता पूर्ण नहीं की गई । केवल खरीदी गई पुस्तकों का अनुमोदन पुस्तक खरीद समीति से औपचारिकता का निर्वाह करने मात्र के लिए किया गया।

§2§ पुस्तक खरीद समीति द्वारा किए गए अनुमोदन तथा फर्म के बिल में खरीदी गई पुस्तकों की कोई भी सूचना पुस्तकों के संस्करण बारे नहीं दी गई जबकि इसका स्पष्ट उल्लेख व अनुमोदन (समीति द्वारा) किया जाना आवश्यक था। बिना उक्त सूचना के खरीदी गई पुस्तकों का औचित्य स्पष्ट किया जाए।

47. विश्वविद्यालय चार्जिज निधि :-

माह 7/97 में बैंक द्वारा दिए गए ब्याज को लम्बे समय तक रोकड़ वही में लेखांकित न करना :-

उक्त निधि की राशि स्टेट बैंक आफ पटियाला के खाता सं. 50515 में जमा करवाई व निकाली जा रही थी। उक्त लेखा की जाँच करने पर पाया गया कि बैंक द्वारा माह 7/97 में ब्याज के रूप में 4191.50 रु. का क्रैडिट दिया गया परन्तु मार्च 2004 तक लिखी रोकड़ वही में ब्याज की राशि लेखांकित नहीं की गई थी। इसके अतिरिक्त रोकड़ वही के बकाया राशि व बैंक लेखा में भी भारी अन्तर पाया गया जिसका अलग पेरा में उल्लेख किया गया है। महाविद्यालय द्वारा समय समय पर यथा प्रतिमास/वर्ष उपरान्त कोई भी मिलान व टिप्पणी रोकड़ वही में दर्ज नहीं की गई थी। लम्बे समय तक ब्याज की आय से सम्बन्धित टिप्पणी रोकड़ वही में न दर्ज करने व मिलान/टिप्पणी रोकड़ वही में न लेखांकित करना अपने आप में ही अनियमितता है तथा भविष्य में इसके बराबर का राशि जमा करवाकर समायोजन कर लिए जाने की सम्भावना से भी इन्कार नहीं किया जा सकता। पाई गई त्रुटि बारे स्थिति स्पष्ट

की जाए व लेखों में आवश्यक सुधार करके इस विभाग कोसूचित किया जाए।

48. विश्वविद्यालय चार्जिज निधि से किए गए व्यय/भुगतानों की जाँच करने पर पाया गया कि निम्न विवरणानुसार हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला को रजिस्ट्रेशन चार्जिज, एडमीशन फीस व अन्य भुगतानों की राशियां भेजी गई परन्तु किए गए भुगतानों के समर्थन में विश्वविद्यालय द्वारा जारी रसीदें नहीं दिखाई गईं। आवश्यक रसीदें प्राप्त करके या सम्बन्धित कार्यालय से आवश्यक प्रमाण पत्र प्राप्त करके इस विभाग को शीघ्र सूचित किया जाए। भविष्य में समस्त भुगतानों के समर्थन में आवश्यक रसीदें यथा समय प्राप्त की जानी सुनिश्चित की जाए।

भुगतान दिनांक	वाउचर सं.	भुगतान राशि
4.7.2000	20/99	1907.00
4.7.2000	21/99	554.00
11.7.2000	1/2000	941.00
11.7.2001	19/01	2134.00
19.7.01	20/01	793.00
4.7.2002	6/02	467.00
15.7.02	7/02	1484.00
17.7.02	8/02	1159.00
23.7.02	9/02	1525.00
29.7.02	10/02	996.00
26.9.02	15/02	2080.00
28.9.02	16/02	114420.00
8.12.03	13/03	220580.00
	योग=	349040.00

49. वाउचर सं. 14/03 दिनांक 19.12.03 राशि 25000.00रु.:-

उपरोक्त वाउचर द्वारा श्री राजेश चौहान, प्रवक्ता इतिहास को एनएसएस के स्पेशल कैम्प के आयोजन हेतु 25000.00 रु. की अग्रिम राशि प्रदान की गई। भुगतान के समर्थन में कोई भी रसीद अभिलेख में नहीं पाई गई तथा न ही कोई भी प्रविष्टि अग्रिम भुगतान के समर्थन में अग्रिम रजिस्टर में पाई गई। अग्रिम रजिस्टर में आवश्यक प्रविष्टि न पाए जाने के कारण इस प्रकार के भुगतान के समायोजन न होने/न किए जाने की सम्भावना से भी इन्कार नहीं किया जा सकता। इसके अतिरिक्त इस प्रयोजन हेतु अग्रिम प्रदान करना निधि पर वैध प्रभार नहीं था। पाई गई त्रुटियों की स्थिति तथ्यों सहित स्पष्ट की जाए व लेखों में आवश्यक सुधार करके अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दिखाई जाए।

50. विश्वविद्यालय चार्जिज निधि की रोकड़ बही में दिनांक 31.3.04 को 608651.14 रु. की राशि अन्त शेष के रूप में (सावधि खाता में निवेशित राशि सहित) थी। पाए गए अन्तशेष में अत्याधिक राशि उक्त लेखा में आधिक्य के रूप में थी। यह आधिक्य गत वर्षों में समस्त छात्रों से यूनीवर्सिटी चार्जिज लिए जाने तथा केवल विश्वविद्यालय में पंजीकृत कम छात्रों के ही शुल्क विश्वविद्यालय को प्रेषित किए जाने के कारण से थी। अत्याधिक राशि इस प्रकार के लेखे में पाया/रखा जाना किसी भी प्रकार से उचित नहीं ठहराया जा सकता। अंकेक्षण का सुझाव है कि छात्रों के कल्याण को ध्यान में रखते हुए ठोस योजना तैयार करके निदेशक, शिक्षा विभाग से अनुमोदित करवाकर आधिक्य पाई गई राशि को उपयोग में लाया जाए।

51. **छात्रावास सर्विस निधि :-**

(क) मु0 11891.00 रु. की ब्याज की राशि को 3 से 6 वर्ष तक रोकड़ बही में लेखांकित न करना :-

उपरोक्त वर्णित निधि का लेखा स्टेट बैंक आफ पटियाला सोलन में खाता सं. 50521 में रखा गया है। उक्त लेखा की जांच करने पर पाया गया कि बैंक द्वारा निम्न विवरणानुसार मु0 11691.00 रु. का ब्याज प्रदान किया गया जिसकी कोई भी प्रविष्टि रोकड़ बही में नहीं की गई। इतनी लम्बी अवधि से सम्बन्धित अर्जित ब्याज को रोकड़ बही में लेखांकित न करना व रोकड़ बही के बकाया शेष का कोई विवरण का उल्लेख न करना व इसका मिलान बैंक लेखा की पास बुक के साथ न करने के कारण अर्जित (ब्याज) को अन्य प्राप्तियों के विरुद्ध भविष्य में समायोजित कर लिए जाने की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता। पाई गई त्रुटि बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा आवश्यक अनुपालना करके इस विभाग को सूचित किया जाए।

पास बुक में लिए गए ब्याज की तिथि	ब्याज की राशि
16.1.98	1724.00
8.7.98	1946.00
10.8.2000	2367.00

15.1.01		3103.00
20.7.01		3151.00
	योग:	11891.00

(ख) माह 7/98 व 12/98 में होस्टल सर्वेन्ट निधि से होस्टल में कार्यरत कर्मचारियों को क्रमश: 3199.00 रु. व 2800.00 रु. का भुगतान किया गया परन्तु किए गए भुगतान से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख/वाउचर अंकेक्षण में नहीं दिखाए गए जिस कारण किए गए भुगतान को सत्यापित नहीं किया जा सका। आवश्यक अभिलेख की उपलब्धता से इस विभाग को सूचित करते हुए आवश्यक सत्यापन आगामी अंकेक्षण में करवाया जाए।

52. होस्टल सक्योरिटी निधि :-

मु0 103968.00 रु. का मैस सक्योरिटी निधि से छात्रों की मैस पर अनुचित अनियमित व्यय :-

उपरोक्त वर्णित निधि लेखा की जांच करने पर पाया गया कि महाविधालय द्वारा होस्टल में चलाई जा रही मैस से सम्बन्धित व्यय व छात्रों से प्राप्ति को भी लेखाबद्ध किया गया था। जिसका विवरण वर्षवार निम्न वर्णित है। जबकि उक्त निधि में केवल होस्टल के छात्रों से ली गई प्रतिभूति की राशियों व प्रतिभूति भुगतान को ही लेखाबद्ध किया जाना था। मैस से सम्बन्धित व्यय यथा राशन, दूध,सब्जी इत्यादि के बिलों, छात्रों से ली गई मैस से सम्बन्धित प्राप्तियों को इस निधि में लेखांकित किया जाना अनियमित ही नहीं आपत्तिजनक भी था। इसके अतिरिक्त कोई अभिलेख इस प्रकार से तैयार नहीं किया गया जिससे यह भी सुनिश्चित होता कि मैस पर किए गए समस्त व्यय की वसूली सम्बन्धित छात्रों से कर ली गई है। इस प्रकार के अभिलेख को अंकेक्षण द्वारा बार बार मांगे जाने पर भी उपलब्ध नहीं करवाया गया तथा मौखिक तौर पर यह कहा गया कि इस प्रकार का कोई भी अभिलेख तैयार नहीं किया गया है। इसके अति--रिक्त यह भी पाया गया कि छात्रों की प्रतिभूति राशि को एक निश्चित अवधि के पश्चात जब्त नहीं किया गया जबकि नियमानुसार

ऐसा किया जाना अपेक्षित था। ऐसा प्रतीत होता है कि इस प्रकार की राशियों का प्रयोग मैस लेखा में कर लिया गया। प्रतिभूति रजिस्टर में अनेक राशियां निपटारे हेतु शेष है। वर्ष 1995-96 से उपलब्ध करवाए गए अभिलेख/रजिस्टर के आधार पर केवल मु0 216333.00 रु. की राशि प्रतिभूति की वापसी हेतु शेष है जबकि रोकड़ बही में, समय समय पर अर्जित ब्याज को जोड़ कर भी दिनांक 31.3.04 को 71246.50 रु. ही शेष थे। छात्रों के मैस लेखा को छात्र प्रतिभूति निधि में लेखांकित करने तथा मैस के निजी लेखा पर किए गए व्यय के आधार पर आय को सुनिश्चित न करने तथा दिनांक 31.3.2004 को उक्त लेखा से 103968.00 रु. के व्यय को प्राप्ति से अधिक व्यय कर लिए जाने बारे स्थिति तथ्यों सहित स्पष्ट किए जाने की तथा पूर्ण छानबीन उपरान्त नियमानुसार सम्बन्धित कर्मचारियों के विरुद्ध आवश्यक उचित कार्यवाही किए आवश्यकता है। भविष्य में मैस के लेखा, जो कि एक निजी लेखा है, का लेखाकरण पृथक से किया जाए।

वर्ष	होस्टल छात्रों से वर्ष में प्राप्त राशि	वर्ष में होस्टल में चलाई जा रही मैस पर व्यय.	प्राप्ति से अधिक व्यय, जो प्रतिभूति निधि से किया गया।
1997-98	278737.00	283356.00	4618.00
1998-99	208624.00	285806.00 (2632/-रु. होस्टल विविध निधि से किए गए व्यय सहित)	77182.00
1999-2000	210741.00 (मैस सक्योरिटी समायोजन सहित)	223391.00	12650.00
2000-2001	78298.00 (मैस सिक्योरिटी समायोजन सहित)	101542.00	23244.00
2001-02	61262.00 (मैस सक्योरिटी समायोजन सहित)	56205.00 (होस्टल विविध निधि से किए गए व्यय 11201.00 के व्यय सहित)	(-) 5057.00
2002-03	44236.00 (मैस सक्योरिटी समायोजन सहित)	37869.00	-) 6367.00
2003-04	11225.00	8923.00	(-) 2302.00
		कुल अधिक व्ययराशि	103968.00

 317

उपरोक्त वर्णित विवरण से स्पष्ट है कि वर्ष 1997-98 से 2003-04 तक रु0 1,03,968.00 रुपये की राशि प्रतिभूति राशि से अधिक व्यय की जा चुकी थी। उक्त राशि वर्ष 1996-97 से सम्बन्धित प्राप्तियाँ भी समायोजित हुई है परन्तु स्पष्ट अभिलेख तैयार न किये जाने/दिखाये न जाने से सही स्थिति/अधिक किये गये व्यय का पता नहीं चलता। उपरोक्त अनियमितता को ध्यान में रखते हुए इस अनुचित व्यय की सही स्थिति की छानबीन करने हेतु विशेष जाँच किये जाने की आवश्यकता है। मामले की गम्भीरता को देखते हुए यह प्रकरण निदेशक, शिक्षा विभाग के ध्यानार्थ लाया जाता है।

रु0 2800.00 रुपये का अनियमित भुगतान :-

मैस प्रतिभूति के किये गये भुगतानों की जाँच करने पर पाया गया कि अनेक भुगतान वाउचरों को सक्षम प्राधिकारी द्वारा सत्यापित किये बिना ही व्यय दर्शाया गया व कई प्रकरणों में किये गये भुगतान के समर्थन में आवश्यक रसीदें भी प्राप्त नहीं की गई। इसके अतिरिक्त होस्टल अधीक्षक द्वारा यह सत्यापित करने पर भी कि प्रतिभूति राशि को समायोजित कर लिया जाये, इन राशियों को समायोजित न करके भुगतान चैक के माध्यम से कर दिया गया दर्शाया गया। इस प्रकार की त्रुटि से सम्बन्धित प्रकरण निम्न वर्णित है। पाई गई त्रुटियों बारे स्थिति स्पष्ट की जाये व आवश्यक कार्यवाही करके इस विभाग को अवगत करवाया जाये।

क्र० सं०	वाउचर सं०	छात्र/छात्रा का नाम	मैस प्रतिभूति की भुगतान राशि।	टिप्पणी
1.	32/97	नीरज मेहता रोल नं0 4805 बी०कॉम-II	700.00	अधीक्षक द्वारा मैस व्यय में समायोजित करने हेतु कहा गया था प्राचार्य द्वारा सत्यापित व रसीद भी उपलब्ध नहीं।
2.	34/97	प्रेम चन्द, बी०ए०-III रोल नं0 5202	700.00	---"---
3.	2/98	सुनील कुमार बीएससी रोल नं0 3161-	700.00	प्राप्तकर्ता की रसीद उपलब्ध नहीं।
4.	33/97	युज भूषण नेगी, बीएससी-II रोल नं0 4631	700.00	---"---
		कुल :	2800.00	

54. वाउचर संख्या 74/99 व 112/01 दिनांक 7.12.99 व 5.10.01 राशि 20240 व 1579.00 रुपये :-

उपरोक्त वर्णित वाउचर द्वारा मैं० विशाल शर्मा मैस कन्ट्रैक्टर व शर्मा जनरल स्टोर को क्रमशः 20240.00 रुपये व 1579.00 रुपये का भुगतान किया गया परन्तु किये गये भुगतान के समर्थन में कोई भी वाउचर अभिलेख में नहीं पाया गया/दर्शाया गया वाउचर संख्या 74/99 श्री रमेश कुमार छात्र बी.एस.सी.-III को प्रतिभूति भुगतान से सम्बन्धित था। बिना वाउचर के रोकड़ बही में दर्शाये गये अनुचित भुगतान बारे स्थिति तथ्यों सहित स्पष्ट की जाये। भुगतान वाउचर न पाये जाने पर सम्बन्धित कर्मचारी से आवश्यक वसूली करके राशि जमा करवाई जाये।

55. होस्टल मैस सक्योरिटी में अर्जित ब्याज को लेखांकित न करना :-

उक्त निधि का लेखा स्टेट बैंक आफ पटियाला, सोलन में बचत खाता संख्या 50502 में रखा गया था। बचत खाता की पास बुक में दिऐ गए ब्याज की जांच करने पर पाया गया कि बैंक द्वारा माह 1/99 में 325.00 रुपये का ब्याज प्रदान किया गया परन्तु रोकड़बही में अर्जित ब्याज बारे कोई भी प्रविष्टि नहीं की गई। अर्जित ब्याज को 6 वर्ष की अवधि तक रोकड़ बही में लेखांकित न करना व रोकड़ बही के शेष का समय समय पर कोई भी विवरण न दिया जाना अनियमितता है। तथा इस राशि को लेखा बद्ध न करके इसके प्राप्ति को कम जमा करवाये जाने की सम्भावना से भी इन्कार नहीं किया जा सकता। पाई गई त्रुटि बारे स्थिति स्पष्ट की जाये व उक्त राशि से सम्बन्धित प्रविष्टियाँ रोकड़ बही में करके अनुपालना से इस विभाग को सूचित किया जाये।

56. मैस प्रतिभूति रजिस्टर में समायोजन हेतु लम्बित में इन राशियों को एक निश्चित अवधि के पश्चात जब्त किया जाना अपेक्षित था ताकि इनका दुरुपयोग न हो। इसके अतिरिक्त उक्त रजिस्टर में लम्बित राशि का मिलान रोकड़ बही में जमा राशि से भी समय समय पर किया जाना अपेक्षित था परन्तु महाविद्यालय द्वारा इससे सम्बन्धित कोई भी सत्यापन नहीं किया जा रहा है। सक्योरिटी रजिस्टर में अत्याधिक राशियाँ निपटारे हेतु लम्बित है परन्तु रोकड़ बही में कम

ही राशि जमा है। अंकेक्षण द्वारा आवश्यक सूचना मांगी जाने पर भी उपलब्ध नहीं करवाई गई। अंकेक्षण में पूर्ण अभिलेख प्रस्तुत न होने के कारण निश्चित राशि की गणना नहीं की जा सकी। फिर भी वर्ष 1995-96 से उपलब्ध करवाये गये रजिस्टर के अनुसार भी 2,16,333•00 रुपये की राशि शेष थी बल्कि रोकड़ वही में दिनांक 31•3•2004 को अर्जित ब्याज सहित केवल 71246•50 रु0 की ही राशि उपलब्ध थी जो कि ब्याज अर्जित को समायोजित करने पर भी 145086•05 रु0 से कम थी। स्पष्ट है कि उक्त लेखा का दुरूपयोग किया गया सम्भावित है। सम्बन्धित प्रतिभूति रजिस्टर से आवश्यक सूचना तैयार करके रोकड़ वही में शेष से मिलान किया जाये। रोकड़ वही में राशि कम पाये जाने पर उच्चाधिकारियों के ध्यानार्थ लाते हुए आवश्यक आगामी कार्यवाही नियमानुसार की जाये।

57• **होस्टल बर्तन निधि :-**

रु0 2109•00 रुपये के प्राप्त ब्याज को 3-4 वर्ष तक रोकड़ वही में न दर्शाना :-

उपरोक्त वर्णित निधि का लेखा स्टेट बैंक आफ पटियाला, सोलन में बचत खाता सं0 50520 में रखा गया था। उक्त लेखा की पास बुक में दिये गये ब्याज की जांच करने पर पाया गया कि निम्न विवरणानुसार रु0 2109•00 रुपये की राशि ब्याज के रूप में दी गई दर्शाई गई। परन्तु रोकड़ वही में प्राप्त ब्याज के सन्दर्भ में कोई भी प्रविष्टि नहीं की गई। रोकड़ वही में बकाया राशि का समय समय पर कोई भी मिलान नहीं किया जा रहा था। रोकड़ वही में बैंक द्वारा दिये गये ब्याज को 3 से 4 वर्ष व्यतीत हो जाने पर भी लेखाबद्ध न करना अपने आप में ही एक गम्भीर अनियमितता है तथा भविष्य में इसे कम जमा के साथ समायोजित कर दिये जाने की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता। पाई गई त्रुटि बारे स्थिति स्पष्ट करते हुए रोकड़ वही में आवश्यक प्रविष्टियां करके इस विभाग को सूचित किया जाये। भविष्य में रोकड़ वही सही प्रकार से लेखांकित की जाये।

बैंक द्वारा दिये गये ब्याज की तिथि	ब्याज राशि रू0
10.08.2000	698.00
15.01.2001	697.00
20.07.2001	714.00
योग :	2109.00

58. होस्टल निधि [विविध] :-

उपरोक्त वर्णित निधि से किये गये व्यय की जांच करने पर पाया गया कि किये गये भुगतानों के समर्थन में आवश्यक रसीदें अभिलेख में नहीं पाई गई। समस्त निम्न वर्णित भुगतानों की रसीदें प्राप्त करके इस विभाग को सूचित किया जाये अन्यथा अनियमित रूप से दर्शाये गये भुगतानों की वसूली सम्बन्धित कर्मचारी से करके राशि जमा करवाई जाये ।

वा0सं0 व भुगतान दिनांक	व्यक्ति का नाम जिसे भुगतान दर्शाया गया ।	प्रयोजन	भुगतान राशि
26/98, 15.7.98	गिरिश	हौस्टल सक्यूरिटी	700.00
30/98, 17.7.98	अक्षय	-यथोपरि-	700.00
			1400.00

59. वाउचर सं0 63/98 दिनांक 29.12.98 राशि 774.00 रुपये :-

उपरोक्त वाउचर द्वारा मै0 जौहरी लाल वांगीधर, सोलन के बिल संख्या 21700 दिनांक 28.12.98 के अन्तर्गत खरीदे गए 5 नं0 तालों हेतु 327.00 रुपये का भुगतान किया गया। खरीदे गए तालों की स्टाक प्रविष्टि पृष्ठ सं0 18 पर वर्णित की गई। उक्त पृष्ठ पर बिना किसी औचित्य/प्रयोजन को दर्शाये इनका प्रयोग दर्शा दिया गया तथा इस प्रयोग को संस्थाध्यक्ष से सत्यापित भी नहीं करवाया गया था। अनियमित रूप से दर्शाये गये प्रयोग बारे स्थिति तथ्यों सहित स्पष्ट की जाये अन्यथा वसूली सम्बन्धित कर्मचारी से करके राशि जमा करवाई जाये ।

60. वाउचर सं० 61/98 दिनांक 26.12.98 राशि 460.00 रूपये :-

उपरोक्त वाउचर द्वारा श्रीमति नविता गौतम को 460.00 रूपये का अग्रिम प्रदान किया गया। किये गये भुगतान की जांच करने पर पाया गया कि उक्त कर्मचारी द्वारा लिए गए अग्रिम का समायोजन 424.00 रूपये के वाउचर तथा शेष राशि रसीद संख्या 3765 के द्वारा जमा करवाई गई दर्शाई गई परन्तु उक्त रसीद/डिमान्ड कलेक्शन रजिस्टर से आवश्यक पुष्टि नहीं करवाई गई। आवश्यक सत्यापन आगामी अंकेक्षण में करवाया जाये।

इसके अतिरिक्त उपरोक्त वर्णित व्यय के बिल संख्या 5007 दिनांक 21.12.98 मै० ठाकुर टेड्रस सोलन की जांच करने पर पाया गया कि खरीदे गये सामान की फिटिंग हेतु फर्म द्वारा 7[illegible].00 रूपये लेबर चार्जिज जोड़े गऐ थे परन्तु बिल में राशि व उसके विवरण को छोड़कर "लेबर चार्जिज" शब्द को काट कर पुनः 100.00 रूपये की राशि अतिरिक्त जोड़ कर कुल भुगतान 424.00 रूपये का पास किया गया जबकि इस संदिग्ध प्रविष्टि को छोड़ कर 324.00 रूपये का ही भुगतान किया जाना अपेक्षित था। एक ही बिल में दो बार लेबर चार्जिज जोड़े जाने, जिसकी प्रविष्टि भी मूल लेख से मेल नहीं करती, बारे स्थिति स्पष्ट की जाये व रु० 100.00 रूपये के अनियमित/अनुचित भुगतान की वसूली सम्बन्धित कर्मचारी से करके राशि जमा करवाई जाये।

61. रु० 6250.00 रूपये का अनियमित भुगतान :-

रोकड़ वही की जांच करने पर पाया गया कि दिनांक 30.6.2003 को बिजली व दूरभाष के अधिक पाये गये व्यय के भुगतान हेतु होस्टल के छात्रों से 6250.00 रूपये की राशि प्राप्त हुई दर्शाई गई। यह राशि किन किन छात्र छात्राओं से एकत्रित हुई बारे कोई भी विवरण अभिलेख/वाउचर के रूप में नहीं दर्शाया गया। केवल की गई प्रविष्टि में यह पाया गया कि यह राशि खाता संख्या 50502 जोकि होस्टल मैस सिक्योरिटी का दर्शाया गया है से हस्तान्तरित की गई तथा उस की रोकड़ वही में यह हस्तान्तरित राशि व्यय के रूप में दर्शाई गई। परन्तु उस रोकड़ वही से भी यह पता नहीं चलता कि यह 6250.00 रू०

की राशि किन रसीदों से प्राप्त की गई है। छात्रों से बिना कटौती/प्राप्त किये ही होस्टल स्कयोरिटी लेखा से राशि हस्तान्तरित किये जाना आपत्तिजनक व अनियमित था जिस बारे स्थिति स्पष्ट करते हुए रु० 6250•00 रुपये की वसूली उचित स्त्रोत से करके जमा करवाई जाये ।

वाउचर संख्या 18/02 दिनांक 29•7•2002 राशि 500•00 रुपये :-

62• उपरोक्त वर्णित वाउचर द्वारा श्रीमति नवीता गौतम, होस्टल अधीक्षिका को बिजली की रिपेयर करवाने हेतु 500•00 रुपये का अग्रिम भुगतान किया गया। किये गये भुगतान के समर्थन में कोई भी वाउचर अभिलेख में नहीं पाया गया बिना वाउचर के किये गये भुगतान तथा उसके समायोजन से सम्बन्धित वाउचर बारे स्थिति स्पष्ट की जाये। सम्बन्धित वाउचर की उपलब्धता न हो पाने की स्थिति में वसूली सम्बन्धित कर्मचारी से करके राशि जमा करवाई जाये ।

63• होस्टल निधि से किये गये व्यय की जांच करने पर पाया गया कि स्टाक रजिस्टर नियमानुसार तैयार नहीं किये जा रहे हैं समस्त वर्ष में गए समान को एक मुश्त एक ही जगह लिख कर उसका प्रयोग होस्टल में कर दिया गया दर्शाया गया है। उदाहरणतया बिजली का सामान यथा ट्यूब रोड, बल्ब तारें, सोकटस, फिटिंग्स इत्यादि की अत्यधिक मात्रा क्रय करके इसे बिना खपत विवरण तैयार किये ही समाप्त कर दिया गया। इस प्रकार की त्रुटि से यह स्पष्ट नहीं होता कि वर्ष में समय समय पर कितने सामान का क्रय प्रत्येक मदवार किया गया तथा समय समय पर इसकी खपत किस प्रकार व कहाँ की गई अभिलेख सही प्रकार से तैयार नहीं किये जाने से प्रत्येक मदवार स्थिति स्वतः स्पष्ट नहीं थी जिस कारण सही प्रकार से जांच की जानी भी सम्भव नहीं थी। पाई गई त्रुटि बारे स्थिति स्पष्ट की जाये व स्टाक रजिस्टर का रख रखाव नियमानुसार किया जाना सुनिश्चित किया जाये ताकि खरीदे गये सामान का विवरण प्रत्येकमदवार स्वतः स्पष्ट हो सके ।

64. होस्टल निधि से बिजली, पानी व दूरभाष के बिलों का भुगतान किया जा रहा था परन्तु इनसे सम्बन्धित भुगतान रजिस्टर प्रत्येक मीटर वार तैयार नहीं किया गया था तथा न ही इनके बिलों को सम्बन्धित अधिकारी यथा होस्टल अधीक्षक द्वारा इन्हें सत्यापित ही किया जा रहा था बिना उपरोक्त अभिलेख के प्रत्येक मीटर वार/ दूरभाष वार स्थिति स्पष्ट नहीं होती। इस महत्वपूर्ण अभिलेख को तैयार किये बिना ही भुगतान किये जाने बारे स्थिति स्पष्ट की जावे व बिजली, पानी व दूरभाष से सम्बन्धित रजिस्टर अविलम्ब तैयार करके अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जावे।

65. होस्टल फण्ड के लेखों का रख रखाव सन्तोषजनक नहीं पाया गया। लेखा प्रत्येक निधि वार तैयार नहीं किये गये थे तथा निधियों को ध्यान में रखकर व्यय नहीं किया गया। अनेक व्यय जोकि छात्र निधि पर वैध प्रभार नहीं थे, पर व्यय किया गया। इस प्रकार के चयनित मामलों में पाये गये उदाहरण अन्य अंकेक्षण आपत्ति में दिए गए है। होस्टल मैस से सम्बन्धित व्यय जोकि एक होस्टल छात्रों का निजि लेखा है, से सम्बन्धित भुगतान भी होस्टल छात्र निधि से किये गये जोकि अत्यन्त ही आपत्तिजनक था। इसके अतिरिक्त छात्रों से एकत्रित निधि राशि को ध्यान में रखते हुए इनसे सम्बन्धित व्ययों को किया जाना अपेक्षित था परन्तु इसे ध्यान में न रखकर अत्यधिक राशि व्यय कर दी गई। उपरोक्त वर्णित त्रुटियों बारे स्थिति स्पष्ट की जावे व भविष्य में इस प्रकार की त्रुटियों को न दोहराया जावे व वांछित की गई कार्यवाही से इस विभाग को सूचित किया जावे।

66\. होस्टल छात्र निधियों से किए गए व्यय की जांच करने पर पाया गया कि निम्नविवरणानुसार मु0 75,941/=रू. का भुगतान किया गया। यह व्यय इन निधियों पर वैध प्रभार नहीं था। अनियमित रूप से किए गए व्यय बारे स्थिति स्पष्ट की जाए व वसूली उचित स्त्रोत से करके राशि इन निधियों में जमा करवाई जाए।

वाउचर सं. दिनांक.	भुगतान विवरण	भुगतानराशिरू.	निधि का नाम जिससे व्यय किया गया।	टिप्पणी
29/03 29.7.03	हिमाचल प्रदेश विद्युत बोर्ड बिल सं. 51249 दि. 26.7.03 छात्र होस्टल के बिजली के बिल का भुगतान (माह 2/02 व3/02 का बकाया)	23278	होस्टल सर्वेंट निधि	किया गया भुगतान माह 2/02 व 3/02 के बकाया भुगतान से सम्बन्धित था परन्तु बिजली बिल भुगतान रजिस्टर तैयार न किए जाने से आवश्यक पुष्टि भी नहीं की जा सकी आवश्यक रजिस्टर पूर्व अवधि का तैयार करके आवश्यक सत्यापन करवाया जाए।
10/99 9.7.99	मे. जोहरीमल वंशीधर,सोलन बिल सं. 1971,2447 व2038 क्रमश: दिनांक 9.7.99, 10.7.99 व 16.7.99 होस्टल के कमरों की फिटिंग हेतु विविध प्रकार का सामान।	2821/=	होस्टल निधि	नेल्स,टावर बोल्ट पैवीकोल एलड्रोप 12" इत्यादि खरीदे गए परन्तु खरीदा गया सामान किस प्रकार किया गया का कोई उल्लेख नहीं.
13/99 24.7.99	मे. गोयल हार्डवेयर बिल नं. 6817दि.12.8.99 140 फुट ग्लासपैन.	2310/=	होस्टल निधि	होस्टल में खिड़कियों के शीशे लगाने केलिए।
41/99 7.12.99	मे. पन्त स्टील इन्ट. सोलन. 5 नं. लैटरिन पाट बनाने के लिए।	350	-"-	--

.. ..

44/99 16.12.99	मै0 अभिषेक ऐंटरप्राईजिज सोलन, बिल नं. 4072 दि. 16.8.99 सामान का विवरण स्पष्ट नहीं.	500/=	होस्टलनिधि	प्रदान स्वीकृत में खरीदे गए सामान बारे स्थिति स्पष्ट नहीं तथा स्टाक प्रविष्टि भी नहीं दिखाई गई।
45/99 16.12.99	-यथोपरि- बिल नं. 4478, दि. 25.8.99 बिजली का सामान व फिटिंग चार्जिज	6670		खरीदे गए सामान होस्टल में कहां-2 लगाया जाना अपेक्षित था का भी कोई उल्लेख नहीं तथा न ही खरीदे गए सामान की स्टाक प्रविष्टि भी नहीं दिखाई गई। छात्र निधि से बिजली का अत्याधिक क्रय बारे स्थिति स्पष्ट की जाए।
5/2000 शून्य	टैलीफोन बिल माह 5/2000 व 6/2000 होस्टल में लगाए गए टैलीफोन के मासिक चार्जिज का भुगतान।	219	होस्टल निधि	समस्त व्यय का वहन किया जाना अपेक्षित था।
38/97 --	-"- माह 4/96व5/98	229	-"-	-"-
32/98 20.7.98	-"- माह 4/98 व 6/98	212	-"-	-"-
67/98	-"- माह 11/98व 12/98	272	-"-	-"-
35/2000 22.1.01	-"- माह 11/2000व 12/2000	267	-"-	-"-
28/2000 1.12.2000	-"- माह 9/00व 10/2000	266	-"-	-"-
29, 4.12.2000	होस्टल में खिड़कियों व अन्य कार्य हेतु मिस्त्री व एक मजदूर को 7दिन की मजदूरी.	931	-"-	—

.. ..

..आ. 326

34/2000 22.1.2000	मै0 शर्मा आर्ट स्टूडियो बिल नं. 6132 दिनांक 26.12.99 35 नं. फोटोग्राफस पर व्यय साईज 4"×6"	500	होस्टलनिधि	समस्त व्यय छात्रों द्वारा वहन किया जाना था।
45/01 से 48/01 4.7.01	एक मिस्त्री कारपेंटर व तीन मजदूरों को होस्टल की रिपेयर व सफाई करने हेतु भुगतान।	1880	-"-	--
52 से53/01	मै0 एम.एस. ट्रेडिंग कं. सोलन होस्टल में करवाए गए वुड वर्क व पाईप फिटिंग/रिपेयर इत्यादि हेतु विविध प्रकार का सामान की खरीद बिल सं. 797से 800 दिनांक 19.6.01	1706	-"-	--
	व मै. जौहरी लाल व देशीधर सोलन के बिल सं. 11282 से 11286 दिनांक 19.6.01 व20.6.01	1416/=	-"-	--
54/01 27.7.01	छात्रावास दूरभाष बिल माह 5/01 व 6/01	390/=	-"-	समस्त व्यय छात्रों द्वारा वहन किया जाना था।
16/02 18.7.02	-"- (छात्र) माह 5/02व6/02	378	-"-	-"-
17/02 25.7.02	-"- (छात्रा) माह 5/02 व 6/02	404	-"-	-"-
25/03 28.7.03	-"- माह 4/03	1109	-"-	-"-
22से31/98 9.7.98से 18.7.98.	10 होस्टल छात्रों को प्रतिभूति राशि का भुगतान.	7300	-"-	होस्टल प्रतिभूति निधि पृथक होने के कारण इस निधि से यह भुगतान देय नहीं।

.. ...

465/98 30.4.98	छात्रों को होस्टल प्रतिभूति भुगतान।	1400	होस्टलविविध निधि	होस्टल प्रतिभूति लेखा पृथक होने के कारण भुगतान इस निधि से उचित नहीं था।
815/98 6.5.98	-"-	6500	-"-	-"-
19/98 1.6.98	-"-	600.00	-"-	-"-
35/98 5.8.98	होस्टल छात्रावास की मैस हेतु राशन गैस इत्यादि का व्यय.	2632	-"-	होस्टल मैस का पृथक लेखा होने के कारण यह भुगतान अनियमित था। होस्टल मैस का व्यय छात्र निधि को व्यय दर्शाना किसी भी प्रकार से उचित नहीं था।
59/01 3.9.01	-"-	4161	-"-	-"-
65/6.10.01	-"-	7040	-"-	-"-
	योग	75941.00		

87

पैरा-67.:-

मैस प्रतिभूति निधि की रोकड़ वही के योग गलत प्रकार से दर्शाए गए हैं। परिणामस्वरूप रोकड़ वही सही स्थिति नहीं दर्शाती। इसके अतिरिक्त रोकड़ वही में बकाया राशि का कोई भी विवरण नहीं दिया गया जिससे स्थिति स्वतः स्पष्ट नहीं होती। रोकड़वही के योग गलत दर्शाए जाने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए व लेखों में आवश्यक सुधार करके अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए। कुछ उदाहरण निम्न वर्णित है :-

दिनांक	शेष जो दर्शाया गया।	शेष जो बनता है।	अन्तर (-कम) (+अधिक)	टिप्पणी
31.8.97	8638.40	8638.35	+0.05	अन्तिमशेष
1.9.97	8638.40	8638.00	+0.40	प्रारम्भिक शेष

..

30.11.97	-5087.00	-5086.60	-0.40	अन्तशेष
31.7.97	37624.25	37614.25	+10.00	(अन्तशेष जों के योग में अन्तर)
30.4.97	-1276	-1275.95	-0.05	अन्तशेष
31.10.97	2297.00	2297.10	-0.10	अन्तशेष

68. छात्र निधियों की प्राप्त आय की जाँच करने पर पाया गया कि हि०प्र० सरकार द्वारा समय समय पर छात्र निधियों की निर्धारित दरों से कम वसूली छात्रों से की जा रही थी परिणामस्वरूप निम्न विवरणानुसार मु0 10515.00 रु. की कम वसूली छात्रों से की गई है। मु0 10515.00 रु. की छात्रों से की गई कम वसूली बारे स्थिति स्पष्ट करते हुए आवश्यक वसूली उचित स्त्रोत से करके जमा करवाई जाए।

~~वर्ष//छात्रों की//छात्र/निधि/का~~ सं.

वर्ष	छात्रों की संख्या	छात्र निधि का नाम.	प्रतिछात्र ली गई राशि.	राशि जो नियमानुसार वसूली जानी थी।	प्रतिछात्र कम वसूली गई राशि.	छात्र सं. के आधार पर कुल कम वसूली।
1997-98	2505	मेडिकल फंड	5	6	1	2505
1998-99	2460	मेडिकल फंड	5	6	1	2460
1997-98	2505	एनसीसी फंड	0	1	1	2505
1998-99	2460	एनसीसी फंड	0	1	1	2460
1997-98	49	हास्टल एडमिशन फीस.	05	10	5	245
1998-99	68	-यथोपरि	05	10	5	340
						10515.00

.. ..

छात्र निधियों की प्राप्त आय की जांच करने पर पाया गया कि हि0 प्र0 सरकार द्वारा समय समय पर छात्र निधियों की निर्धारित दरों से अधिक की वसूली विद्यार्थियों से की जा रही है परिणामस्वरूप निम्न विवरणानुसार रु0 564691•00 रुपये की राशि की अधिक वसूली की गई थी जिस बारे स्थिति स्पष्ट करते हुए अधिक राशि को सक्षम प्राधिकारी से नियमित करवाया जाये।

वर्ष	छात्रों की संख्या	छात्र निधि का नाम	प्रति छात्र ली गई राशि	राशि जो नियमानुसार प्राप्त होनी थी	प्रति छात्र अधिक ली गई राशि	छात्र सं० के आधार पर कुल अधिक प्राप्त राशि
1997-98	2505	गृह परीक्षा निधि	10	6	4	10020
1998-99	2460	-"-	10	6	4	9840
1997-98	2505	पहचान पत्र निधि	10	5	5	12525
1998-99	2460	-"-	10	5	5	12300
1999-2000	2720	-"-	10	5	5	13600
2000-01	2774	-"-	15	5	10	27740
2001-02	2778	-"-	15	5	10	27780
2002-03	2827	-"-	15	5	10	28270
2003-04	2740	-"-	15	5	10	27400
1997-98	2505	मैगजीन फण्ड	25	15	10	25050
1998-99	2460	-"-	25	15	10	24600
1999-00	2720	-"-	25	15	10	27200
2003-04	54	होस्टल आई0 कार्ड	15	5	10	540
1997-98	2505	स्टूडैण्ड एड फंड	3	2	1	2505
1998-99	2460	-"-	3	2	1	2460
1999-00	2720	-"-	3	2	1	2720
2000-01	2774	-"-	3	2	1	2774
2001-02	2778	-"-	3	2	1	2778
2002-03	2827	-"-	3	2	1	2827
2003-04	2740	-"-	3	2	1	2740
1997-98	49	[illegible] सर्वेंट फण्ड (अटैंडेंट, चौकीदार, क्लर्क)	540	384	156	7644
1998-99	68	-"-	720	384	336	22848
1999-00	68	-"-	990	540	450	30600
2000-01	49	-"-	1260	540	720	35280

2001-02	37	हास्टल सर्वेंट पंड (अटैंडेंट, स्वीपर, क्लर्क)	1260	540	720	26640
2002-03	32	-"-	1260	540	720	23040
2003-04	54	-"-	1440	540	900	48600
1997-98	49	पानी, बिजली, दूरभाष निधि होस्टल	720	480	240	11760
1998-99	68	-"-	840	480	360	24480
1999-2000	68	-"-	720	480	240	16320
2000-01	49	-"-	720	480	240	11760
2001-02	37	-"-	720	480	240	8880
2002-03	32	-"-	720	480	240	7680
2003-04	54	-"-	915	480	435	23490
						564691.00

70. विद्यार्थी निधियों की प्राप्त आय की जाँच करते समय पाया गया कि फण्ड एकत्रिकरण रजिस्टरों में प्राप्त राशि बैंक में तो जमा करवाई गई है परन्तु रोकड़बही में उस माह में या तो गलत प्रविष्टि है या प्रविष्टि की ही नहीं गई है। चयनित मासों से सम्बन्धित कुछ उदाहरण निम्न वर्णित है :-

फण्ड का नाम व रोकड़ बही पृ0सं0	जमा दिनांक व कलेक्शन रजिस्टर पृष्ठ	राशि जमा की गई व कलेक्शन रजिस्टर में दर्ज	रोकड़बही में दर्ज राशि	टिप्पणी
विश्वविद्यालय फंड पृष्ठ 106	26.8.97 पृष्ठ 101	360.50	360.00	पास बुक में जमा 360/- रु.
एमलगामेटिड फण्ड पृष्ठ 40	25.3.98 पृष्ठ 17	2934.00	2943.00	पास बुक में जमा 2934/- रु.
एमलगामेटिड फण्ड पृष्ठ-40	31.3.98 पृष्ठ 21	2156.50	—	पास बुक में जमा 2156.50 रु.
मैडिकल फण्ड पृष्ठ -71	23.7.98 पृष्ठ 74	175.00	170.00	पास बुक में जमा 360.00 रु.

उपरोक्त त्रुटियों बारे स्थिति स्पष्ट की जाये व आवश्यक कार्यवाही करने के उपरान्त की गई कार्यवाही से इस विभाग को अवगत करवाया जाये।

71. होस्टल फीस व फण्ड की जाँच करने पर पाया गया कि रसीद सं0 704 से 708 तक रसीद बुकों में कॉउन्टर फॉयल व वास्तविक रसीद खाली थी जबकि एकत्रीकरण रजिस्टर में यह निम्न प्रकार से दर्ज थी व इस ~~[illegible]~~ राशि के अन्य खातों के साथ

25.08.2003 को जमा किया गया दर्शाया गया है ।

रसीद सं0	नाम	कक्षा	रोल नं0	राशि खाता सं0 302
704	नारंगी	बी.ए.-I	469	180
705	नीतू सिंह	बी.कॉम-I	1134	180
706	चन्द्र मोहिनी	बी.ए.-I	350	180
707	पुष्प लता	बी.ए.-I	209	180
708	सारिका	बी.एससी-I	1610	180

उपरोक्त से स्पष्ट है कि वास्तव में जब राशि प्राप्त होती है तब रसीद नहीं काटी जा रही है इस प्रकार के प्रकरणों में वास्तविक प्राप्त राशि व काटी गई रसीद की राशि में अन्तर होने व वास्तव में कम राशि की रसीद काट कर कम राशि ही जमा किये जाने की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता। उक्त प्रकरण उच्चाधिकारियों के ध्यानार्थ उचित कार्यवाही हेतु लाया जाता है ।

72. रोकड़ बही को बकाया राशि का विस्तृत विवरण का उल्लेख न करना व बैंक शेष का बैंक के साथ मिलान न करना व दिनांक 31.3.04 को 8,34,183.44रु.

विभिन्न छात्र निधियों की रोकड़ बहियों की जांच करने पर पाया गया कि रोकड़ बही में समय समय पर प्रतिमास/वर्ष वार निकाले गये शेष का कोई भी विवरण नहीं दिया जा रहा था तथा न ही बैंक में जमा राशि को रोकड़ बही में दर्शाकर इसका मिलान बैंक पास बुक के साथ किया जा रहा था। रोकड़ शेष का विवरण न दिया जाना तथा इसे बैंकों जमा राशि के साथ मिलान न करना अपने आप में ही एक गम्भीर अनियमितता है। रोकड़ शेष तथा बैंक में पाये गये शेष के दिनांक 31.3.2004 को पाये गये अन्तर का विवरण निम्न वर्णित है। पाई गई त्रुटि बारे स्थिति स्पष्ट की जाये व समस्त रोकड़ बहियों का मिलान बैंक खाता के साथ मासवार समस्त अभिलेख/अवधि का अविलम्ब करके अनुपालना से इस विभाग को सूचित किया जाये व भविष्य में मिलान व रोकड़ शेष का विवरण प्रत्येक मास दिया जाना सुनिश्चित किया जाये ।

निधि का नाम	खाता सं0	रोकड़ बही में दिनांक 31.3.04 को शेष	बैंक में दिनांक 31.3.04 को शेष	अन्तर
विज्ञान निधि	स्टेट बैंक ऑफ पटियाला नं0 50516	282672.89	270494.89	(+) 12178/-
लाइब्रेरी सिक्योरिटी निधि	-"- 50513	778105.36	793352.36	(-) 15247.00
पहचान पत्र निधि	-"- 50517	39562.97	39847.97	(-) 285.00
कल्चरल एक्टीविटी निधि	-"- 50541	84009.06	88638.06	(-) 4629.00
स्वास्थ्य निधि	-"- 50511	10471.62	10435.62	(+) 36.00
पत्रिका निधि	-"- 50512	73702.13	62127.13	(+) 11575.00
गृह परीक्षा निधि	-"- 50514	9262.08	7194.08	(+) 2068.00
विश्वविद्यालय चार्जिज निधि	-"- 50515	208651.14	5706.14	(+) 202945/-
होस्टल सर्वेन्ट निधि	-"- 50521	193434.29	209077.29	(+) 15643.00
होस्टल (विविध) निधि	-"- 50507	13825.65	21727.00	(-) 7902.00
होस्टल मैस प्रतिभूति निधि	-"- 50502	71246.50	90375.50	(-) 19129.00
होस्टल बर्तन निधि	-"- 50520	35509.16	37613.16	(-) 2104.00
मिश्रित निधि	-"- 50501	179451.66	719894.16	(-) 540442.44
		योग:-	(+)	244445.00
			(-)	589738.44

छात्र निधियों के रोकड़ बही का बकाया का विवरण प्रत्येक मास न दिये जाने तथा बैंक लेखा का मिलान रोकड़ बही के साथ न करने, जिसके कारण छात्र निधियों में दिनांक 31.3.2004 को उपरोक्त विवरणानुसार लाखों रुपये का अन्तर था, सम्बन्धित प्रकरण सम्बन्धित कर्मचारियों/अधिकारियों के विरुद्ध आवश्यक उचित कार्यवाही व सुधार करवाने हेतु निदेशक, शिक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश के ध्यानार्थ विशेष रूप से लाया जाता है।

छात्र निधियों की प्राप्ति की जांच करने पर पाया गया कि जियोग्राफी प्रैक्टिकल फण्ड, एग्रीकल्चर प्रैक्टिकल फण्ड, म्यूजिक प्रैक्टिकल फण्ड, साईकालाजी प्रैक्टिकल फण्ड, होम साईंस प्रैक्टिकल फण्ड, बाजार टेस्ट फण्ड, एमर्जेन्सी फण्ड के लिए प्राप्त राशि को एमलगा-मेटिड फण्ड में जमा किया जा रहा है जबकि नियमानुसार इन सभी फण्डों का खाता अलग अलग रखा जाना वांछित था तथा साथ ही अभिलेख में यह नहीं पता चल पाया कि सम्बन्धित फण्डों के अधीन पृथक-पृथक से कितनी राशि प्राप्त हुई व कितना खर्च किया गया। फण्डों को अलग अलग न रखे जाने का औचित्य स्पष्ट करें व की गई कार्यवाही से इस विभाग को अवगत करवाया जाये।

एमलगमेटिड फण्ड की रोकड़ बही के पृष्ठ 153 पर दिनांक
74 1.10.2001 को प्रारम्भिक शेष मु0 680989.00 रुपये दर्शाया गया है जबकि पृष्ठ 150 व 151 पर 30.9.2001 को अन्तिम शेष मु0 691309.00 रुपये दर्शाया गया है। जोकि मु0 10320.00 रुपये से कम है। रोकड़बही में दिनांक 26.03.2001 को वाउचर संख्या 236/2000 के सन्दर्भ में 10320.00 रुपये आय के रूप में दर्शाकर जमा किये गये थे। परन्तु आगामी मास में गलत बकाया राशि लिखी गई। उक्त सन्दर्भित टिप्पणी स्वंय स्पष्ट नहीं थी तथा गलत रूप से आय पक्ष में यह दर्शाया गया कि यह राशि स्क्योरिटी पेमेन्ट है परन्तु सम्बन्धित सन्दर्भित वाउचर की जांच करने पर पाया गया कि यह प्राप्ति पूर्ण में दिनांक 26.03.2001 को कैन्टीन संविदाकार से प्राप्त प्रतिभूति राशि को रोकड़ बही में लेखांकित किये जाने से सम्बन्धित थी। वाउचर संख्या 236/2000 पर दर्शाया गया कि एफ.डी.आर. सं0 873762 दिनांक 07.06.2000 XXXX मु0 10000.00 रुपये को एनकेश (निकासी) करवाया गया है जोकि पासबुक सं0 50501 में दिनांक 26.3.2001 को मु0 10320.00रु. (ब्याज सहित) जमा है। रोकड़बही में प्राप्ति विवरण वास्तविकता से अलग लिखना व आगामी मास में गलत बकाया राशि को लेखांकित करना, रोकड़ बही के बकाया बारे कोई भी विवरण दर्ज न करना तथा की गई त्रुटि बारे तीन वर्ष का समय व्यतीत होने पर भी कोई सुधार न करना अनियमितता है। जिस ~~किस~~ बारे स्थिति तथ्यों सहित स्पष्ट की जाये। साथ ही अन्तिम शेष दिनांक 30.9.2001 व प्रारम्भिक शेष 1.10.2001 में अन्तर का कारण स्पष्ट करते हुए आवश्यक समायोजन करने के उपरान्त की गई कार्यवाही से इस विभाग को अवगत करवाया जाये।

75· कल्चर एक्टीविटी फण्ड की रोकड़ बही पृष्ठ 100 पर माह 7/2000 के योगों की जांच करने पर पाया गया कि अन्तिम शेष रु0. 1,90,191·00 रुपये लिया गया है जबकि 1,92,701·90 रुपये बनता है अन्तर रु0 2510·00 का है जोकि दिनांक 28·7·2000, 29·7·2000 व 31·7·2000 को क्रमशः 1000, 850 व 660 रुपये की प्रविष्टियां रोकड़ बही में लिखी परन्तु योग में न लेने के कारण है। योग में प्रविष्टियां न लेना, योग की जांच न करना व बैंक से समाधान (Reconciliation) न करना अनियमितता है। जिस बारे स्थिति स्पष्ट करते हुए लेखों में आवश्यक संशोधन करने के उपरान्त की गई कार्यवाही से इस विभाग को अवगत करवाया जाये।

76· मैगजीन फण्ड की रोकड़ बही पृष्ठ 53 पर दिनांक 27·7·99 के अनुसार व फण्ड एकत्रिकरण रजिस्टर पृष्ठ 97 से 99 के अनुसार रु0 1575·00 रुपये जमा किए गए लेकिन पास बुक में उक्त प्रविष्टि जमा पक्ष में नहीं पाई गई। अंकेक्षण अवधि तक यह प्रविष्टि नहीं पाई गई। अंकेक्षण में आपत्ति उठाये जाने के उपरान्त दिनांक 28·5·2004 को उक्त प्रविष्टि की ट्रांसफर प्रविष्टि करवाई गई जिसमें लिखा गया था कि यह राशि खाता संख्या 5032 में जमा हो गई थी जो अब ठीक कर दी गई है। 7/99 से 28·5·2004 तक रोकड़ बही व बैंक पास बुक का मिलान (Reconciliation) न किया जाना अनियमित है। जिस बारे स्थिति स्पष्ट करते हुए इस विभाग को की गई कार्यवाही से अवगत करवाया जाये। रोकड़ बही व बैंक पास बुक का मिलान न किये जाने से ~~गबन/~~ ऐसी अन्य प्रविष्टियों की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता।

77· साईंस फण्ड की रोकड़ बही पृष्ठ 244 दिनांक 9·7·1998 के अनुसार व फण्ड एकत्रीकरण रजिस्टर के अनुसार रु0 60·00 रुपये साईंस फण्ड के एकत्रित किए गए। लेकिन पासबुक में रु0 105·00 रुपये की जमा की प्रविष्टी पाई गई। अंकेक्षण में जांच के दौरान पाया गया कि मैडिकल फण्ड के रु0 105·00 रुपये लिए गए थे व साईंस फण्ड व मैडिकल फण्ड की प्रविष्टियां एक-दूसरे फण्ड में कर दी गई लेकिन सम्बन्धित कर्मचारी द्वारा रोकड़ बही पृष्ठ 248 पर रु0 45·00 रुपये की प्रविष्टी प्राप्ति पक्ष में

... ...

कर दी गई जोकि बिना किसी अभिलेख के व बिना वास्तविक प्राप्ति के बैंक की प्रविष्टि के साथ मिलाने के कारण की गई। जिससे प्रतीत होता है कि पास बुक के आधार पर ही रोकड़ बही लिखी जाती है। बिना जाँच के रोकड़बही में प्रविष्टियाँ करना अनियमित है। जिसे बारे स्थिति स्पष्ट करते हुए व आवश्यक समायोजन करने के उपरान्त की गई कार्यवाही से इस विभाग को अवगत करवाया जाये।

78• होस्टल फीस व फण्ड से सम्बन्धित खाता संख्या 302 नया खाता सं0 50507 (हास्टल मैंनेस, पानी, बिजली, कागज इत्यादि) के एक की रोकड़बही पृष्ठ 56 पर दिनांक 1•7•2003 को ब्याज (Intt. to date) रु0 180•00 रुपये लिखा गया है। पासबुक में प्रविष्टि की जाँच करने पर पाया गया कि वास्तव में ब्याज की राशि 147•76 रुपये थी व रु0 180•00 रुपये का चेक संख्या 424122 निकासी (Withdrawal) पक्ष में दर्ज था। अतः गलत ब्याज दर्ज करने के उक्त प्रकरण से स्पष्ट है कि रोकड़बही सही ढंग से नहीं लिखी जा रही है व अधिकारियों द्वारा भी बिना प्रविष्टि की जाँच के ही प्रविष्टियों का सत्यापन किया जा रहा है तथा न ही बैंक समाशोधन विवरण (Bank Reconciliation Statement) बनाई जा रही है क्योंकि इस प्रकार की प्रविष्टियों को उक्त विवरण बनाने से ढूँढा व ठीक किया जा सकता है। उक्त प्रकरण आवश्यक कार्यवाही हेतु उच्चाधिकारियों के ध्यान में लाया जाता है तथा उचित प्रविष्टि करने व बैंक समाशोधन बनाने के उपरान्त की गई कार्यवाही से इस विभाग को अवगत करवाया जाये।

79• होस्टल मैस सिक्योरिटी की प्राप्ति की जाँच करने पर पाया गया कि फण्ड/फीस एकत्रीकरण रजिस्टर पृष्ठ 43 पर दिनांक 19•3•1998 को रु0 800•00 रुपये मैस सिक्योरिटी के प्राप्त किए गए लेकिन रोकड़ बही में इसकी प्रविष्टि नहीं की गई। पास बुक में जाँच करने पर पाया गया कि दिनांक 19•3•1998 को कुल राशि 2152•00 रुपये जमा करवाई गई जिसमें रु0 1352•00 रुपये मैस के व 800•00 रुपये मैस सिक्योरिटी के जमा करवाये गये प्रतीत होते हैं। रु0 800•00 रुपए की

प्रविष्टि रोकडबही में न किये जाने बारे स्थिति स्पष्ट करते हुए उचित प्रविष्टि करने के उपरान्त की गई कार्यवाही से इस विभाग को अवगत करवाया जावे ।

विविध :-

(क) विभिन्न छात्र निधि की रोकड बहियों में व्यय विवरण नहीं दिया जा रहा था। किये गये व्यय का किसे भुगतान किया गया फर्म के बिल संख्या इत्यादि का क्या विवरण था तथा किया गया व्यय किस प्रयोजन, उददेश्य हेतु किया गया, बारे कोई विवरण नहीं दिया जा रहा था । पाई गई त्रुटि बारे स्थिति स्पष्ट की जावे व भविष्य में रोकड बही में व्यय विवरण पूर्ण रूप से वर्णित किये जाने सुनिश्चित किये जावें ।

(ख) छात्र निधियों की विभिन्न प्राप्तियों की जांच करते पाया गया कि मिश्रित निधि की रोकड बही के पृष्ठ 195 पर माह 7/02 की प्रविष्टियों में प्राप्ति पक्ष में दिनांक 31.12.2001 को रु0 500.00 रुपये जमा दर्शाये गये हैं व लिखा गया है "Deposited the security of college" लेकिन इस सम्बन्ध में कोई आदेश अथवा प्राप्ति से सम्बन्धित विस्तृत विवरण व अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे इस प्राप्ति की जांच की जा सके व न ही सम्बन्धित पासबुक में प्रविष्टि दर्शाई गई जिससे कि इस राशि की सत्यापना की जा सके ।

(ग) छात्रों से प्राप्त व सरकारी खजाने में जमा की गई राशि को से सम्बन्धित वास्तविक जमा का सत्यापन सरकारी खजाने से प्राप्त स्टेटमेंट उपलब्ध न करवाये जाने के कारण नहीं किया जा सका। खजाने से प्राप्ति का स्टेटमेंट न लिए जाने का औचित्य स्पष्ट करें व इसे प्राप्त किये जाने के उपरान्त अंकेक्षण को अवगत करवाया जावे व भविष्य में सरकारी खजाने में जमा की गई राशि से सम्बन्धित स्टेटमेंट मासिक आधार पर प्राप्त करके रोकडबही से मिलान किया जावे ।

(घ) कैम्पस डिवेलपमेंट फण्ड, बुक डिपोजिट फण्ड व फर्नीचर डिपोजिट फण्ड की माह 2/2002 व इससे पहले की पासबुकें जमा की गई राशि के सत्यापन हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 359 दिनांक 29.6.2004 व 367 दिनांक 17.6.04 द्वारा बार-बार मांगने पर भी अंकेक्षण में प्रस्तुत

..

नहीं की गई। जिसे आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जावे अथवा इस बारे इस विभाग को सूचित किया जावे।

(ङ) लेक्चर फीस से सम्बन्धित चयनित माह 7/2000, 12/2000, व 7/2001 में प्राप्त की गई राशि से सम्बन्धित रसीद बुक अंकेक्षण अधियाचना संख्या 367 दिनांक 17•6•2004 द्वारा मांगे जाने पर भी जाँच हेतु अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं की गई। जिस बारे स्थिति स्पष्ट करते हुए इस विभाग को सूचित किया जावे। इसके साथ ही सर्वेंट MVS एकाउंट 663 तथा बैंक एकाउंट 50521 की फरवरी 2002 व उससे पहले की पास बुक जमा की गई राशि के सत्यापन के लिए जांच हेतु अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं की गई ~~[illegible]~~ जिस बारे स्थिति स्पष्ट करते हुए इस विभाग को अवगत करवाया जावे।

(च) दिनांक 14•8•97 फण्ड एकत्रीकरण रजिस्टर पृष्ठ 94 पर रसीद संख्या 195250 से 195335 तक से रु0 510•00 रुपये दाखिला फीस, 850•00 रुपये लेट एडमिशन फीस व 3672•00 रुपये ट्यूशन फीस के अर्थात कुल रु0 5032•00 रुपये एकत्रित किए गए जिसे दिनांक 18•8•97 को चालान द्वारा सरकारी खजाने में जमा करवाया गया दर्शाया गया है लेकिन सत्यापनार्थ न तो चालान की प्रति ही जाँच हेतु प्रस्तुत की गई व न ही खजाने से प्राप्त जमा स्टेटमेंट (Treasury Deposit Statement) ही प्रस्तुत की गई। जिस बारे स्थिति स्पष्ट करते हुए की गई कार्यवाही से इस विभाग को अवगत करवाया जावे।

(छ) दिनांक 6•8•97 को कैशबुक रजिस्टर पृष्ठ 74 पर ड्राफ्ट संख्या 316955 के माध्यम से रु0 1001•00 रुपये जमा दर्शाये गये हैं व इस राशि को खाता सं0 663 में जमा दर्शाया गया है लेकिन इस सम्बन्ध में कोई रसीद, वाउचर अथवा विवरण अंकेक्षण में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे कि यह पता लग सके कि यह राशि किससे व किस सम्बन्ध में प्राप्त हुई है।

...

(ग) विभिन्न छात्र निधियों की रोकड़ बही में प्राप्ति पक्ष की जांच करने पर पाया गया कि रोकड़बही में राशि जमा करवाने की तिथि के आधार पर लिखी जा रही है जबकि रोकड़बही वास्तव में कालेज में प्राप्त की गई राशि की तिथि के आधार पर लिखी जानी चाहिए। इस सम्बन्ध में औचित्य स्पष्ट करें व भविष्य में वास्तविक प्राप्ति की तिथि के आधार पर ही रोकड़बही लिखी जाये।

(घ) विभिन्न फण्डों के स्टॉक रजिस्टरों की जांच करने पर पाया गया कि स्टॉक रजिस्टर उचित तरीके से नहीं बनाये जा रहे हैं। एक ही फण्ड के लिए अनेकों स्टॉक रजिस्टर रखे गये हैं तथा अपनी मरजी से किसी भी स्टॉक रजिस्टर में एन्ट्री कर दी जाती है। स्टॉक की फिजिकल वैरिफिकेशन नहीं की जा रही है केवल प्रथम पृष्ठ पर सर्टिफिकेट दिया जा रहा है जबकि जहां पर जिस मद की जितनी मात्रा सत्यापित की गई है उसी पृष्ठ पर उक्त मात्रा का सत्यापन किया जाना अपेक्षित है। कई फण्डों में कन्डमनेशन स्टेटमैंट नहीं बनाई जा रही है। केवल बिना किसी आधार के वशूड एण्ड कन्जयूम्ड लिख दिया जाता है। स्टॉक रजिस्टर नियमानुसार व उचित तरीके से बनाए जायें व की गई अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाये। इसके अतिरिक्त स्थाई मदों को भी कन्जयूम्ड/वशूड दिखाकर स्टॉक रजिस्टर से खारिज कर दिया जाता है। जबकि ऐसे स्टाक रजिस्टर/स्टाक से खारिज नहीं किया जा सकता।

81. लघु आपत्ति विवरण:-

यह अलग से जारी नहीं।

82. निष्कर्ष: लेखों में सुधार की अत्यन्त आवश्यकता है।

सहायक निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
का/प्र० हिमाचल प्रदेश, शिमला-171009.

-84- 339

19 NOV 2004 - 5399-5400

पृष्ठांकन संख्या: फिन (एल.ए.)(सी)(5)(11)(4)33/78-खण्ड-5, दिनांक, शिमला-171009. 19 NOV 2004

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. प्रधानाचार्य, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय सोलन, जिला सोलन, हि०प्र० को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर की गई कार्यवाही का सटिप्पण उत्तर इस विभाग को अतिशीघ्र भेजें।

2. निदेशक, शिक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश, शिमला-171001.

अखिल शर्मा

सहायक निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला-171009.

...

परिशिष्ट 'क' अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/97 से 3/2004

DETAIL OF FIXED DEPOSITS

No.		Dated.	Amount of F.D.	Rate of interest.	
CTDE/STDR/1	594057	29.7.02	11,71,658	7.50 %	A.F.
-do-	594061	29.7.02	7,02,502	7.5%	A.F.
-do-	594058	8.9.02	1,17,165	7.5%	M.F.
-do-	594060	8.8.02	2,93,017	7.5%	B.F.
-do-	594059	8.8.02	2,34,329	7.5%	L.S.
-do-	594055	26.9.02	1,26,746	7.5%	B.F.
-do-	594062	26.9.02	40,292	7.5%	M.F.
-do-	594056	26.9.02	1,32,800	7.5%	L.F.
-do-	595947	13.1.04	8,00,000	5.5%	A.F.
-do-	595946	13.1.04	1,00,000	5.5%	Student Aid Fund.
-do-	595948	~~[illegible]~~ 13.1.04	1,50,000	5.5%	Med. Fund.
-do-	595949	13.1.04	2,50,000	5.5%	Magazine Fund.
-do-	595950	13.1.04	7,00,000	5.5%	Lib. Security.
-do-	595951	13.1.04	1,90,000	5.25%	House Exam.
-do-	595952	13.1.04	4,00,000	5.5%	H.P.U.
-do-	595953	13.1.04	1,50,000	5.25%	I-Card Fund.
-do-	595954	13.1.04	1,75,000	5.25%	I.Card F.
-do-	595955	13.1.04	10,00,000	5.25%	B.F.
-do-	595956	13.1.04	20,000	5.25%	NCC
-do-	595957	13.1.04	1,00,000	5.5%	R.C.F.
-do-	595958	13.1.04	2,00,000	5.5%	Cultural Activity F.
-do-	595959	13.1.04	3,00,000	5.5%	Book Replacement
-do-	595960	13.1.04	75,000	5.5%	Furniture Repair
-do-	595961	13.1.04	25,000	5.25%	Furniture Repair
-do-	595962	13.1.04	1,00,000	5.5%	Campus Dev. Fund
		योग:-	7553589.00		

Principal
Govt. Post-Graduate College
SOLAN-173212

परिशिष्ट "ख" Govt.College Solan.

अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/97 से 3/2004 तक

Detail of Unsettled Advances

Vr.No.	Date	Amount	Name	Cheque No.	
61/97	13.8.97	800/-	Prof.Rama Nand Chauhan	416116	A.F.
3/97	13.11.97	100/-	Prof.ShakuntlaVerma	704216	C.A.F.
93/98	7.11.98	10,000/-	Prof.Anupam Bhalla	..	A.F.
5/98	7.9.98	500/-	Partap Singh	..	Sc.F.
78/99	16.10.99	500/-	Prof.Shashi Bala	478382	A.F.
186/99	5.1.2K	600/-	Smt.Asha Sharma	490094	
6/2K	10.10.2K	1140/-	Sh.A.R.Verma JLA	176966	Sc.F.
8/2K	20.11.2K	480/-	-do-	176968	
14/2K	2.3.2K	1500/-	Sh.Ashwani Kumar JLA	176974	
15/2K	13.3.01	500/-	Sh.Nand Ram SLA	176975	
37/01	25.7.01	500/-	Prof.Rama Nand	345123	A.F.
45/01	17.8.01	20000/-	-do-	345131	
53/01	29.8.01	8000/-	Prof.H.K.Bhardwaj	345139	
19/01	31.8.01	2500/-	Sh.Ashwani Kumar JLA	176979	Sc.F.
20/01	5.9.01	1350/-	Prof.R.K.Pathania	176980	"
2/02	18.3.02	450/-	Sh.Nand Ram SLA	176992	"
3/02	18.3.02	130/-	-do-	176993	"
16/03	22.4.03	4000/-	Prof.Rajni Sankhyan	470388	Hostel F.
9/03	21.8.03	500/-	Sh.Nand RamVerma SLA	479713	Sc.F.
11/03	27.8.03	20000/-	Prof.H.S.Negi	192126	"
13/03	23.9.03	500/-	Sh.Ram Swaroop JLA	479718	"
183/03	30.10.03	5000/-	Prof.Yogesh Kumar	192194	A.F.
196/03	4.11.03	6000/-	Prof.Rajinder Kashyap	192707	
198/03	4.11.03	500/-	Sh.Nand Ram SLA	192709	
15/03	4.11.03	1500/-	Prof.H.K.Thakur	479720	Sc.F.
9/03	4.11.03	500/-	Prof.S.K.Gandhi	479513	M.F.
14/03	19.12.03	25000/-	Prof.Rajesh Chauhan	424411	Uni.F.
5/03	31.12.03	2000/-	Prof.Roshan Sharma	479098	C.A.F.
..	17.2.04	1500/-	Sh.A.R.Verma JLA	479723	

जोड़ :- 116050=00

Principal
Principal
Govt. Post Graduate College
SOLAN-173212 H.P.